विश्व व्यापार संगठन गुलामी का सविधान

भूमिका

1 जनवरी 2005 से विश्व व्यापार संगठन समझौता देश में लागू हो चुका है। 15 दिसम्बर 1994, जब भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तब से लेकर 1 जनवरी 2005 तक के दस वर्ष में लगभग सभी राजनैतिक दलों ने देश पर शासन किया। ऐसे राजनैतिक दल भी शामिल रहे जिन्होंने कभी विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ जबरदस्त आन्दोलन किये थे। लेकिन इन सरकारों ने देश की जनता को कभी भी यह बताने का साहस नहीं जुटाया कि आखिर विश्व व्यापार संगठन जैसे समझौते को लागू करने के पीछे उनकी मजबूरी क्या है। बल्कि इन सरकारों के व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि मानों वे भारत के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिये नहीं बल्कि विश्व व्यापार संगठन के हितों के लिये चुनकर आयी हैं। पिछले दस वर्षों में विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के संदर्भ में हमारे राजनेता लगातार झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। एक ऐसा समझौता जिसका देश के न केवल कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा और चिकित्सा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर गहरा और व्यापक असर पड़ने वाला हो बल्कि देश की सम्प्रभुता ही विश्व व्यापार संगठन की गिरवी हो, के संदर्भ में देश की जनता के सामाने न सही लेकिन जनता की प्रतिनिधी, संसद में भी गंभीर चर्चा न कराना राजनैतिक दलों के इरादों के प्रति शक पैदा करता है। होना तो यह चाहिए था कि देश की सरकारें खुद आगे बढ़कर इस संदर्भ में समाचार पत्रों व टी. वी. आदि के माध्यम से जनता के बीच में व्यापक बहस चलातीं और लोगों के शंकाओं का समाधान कर आवश्यक होने तथा जनता की मांग पर इस समझौते को लागू करतीं। लेकिन ऐसा करने की जगह सरकारों ने जनता को गलतफहमी में रखकर तथाकथित विकास का हवाला देकर देश को अंधे कुएँ में गिराने का काम किया है।

ऐसी परिस्थिती में देश के समस्त संवेदनशील, जागरूक और देशभक्त नागरिकों का कर्तव्य है कि वे विश्व व्यापार संगठन की सच्चाईयों से देश को अवगत करायें। अपने इसी कर्तव्य का निर्वाह करते हुये स्वराज प्रकाशन समूह ने विश्व व्यापार संगठन के कुछ शर्तों और उसके प्रभावों का विश्लेषण इस पुस्तिका के माध्यम से जनता के बीच में लाने का प्रयास किया है।

संपादक

Table of Contents

विश्व व्यापार संगठन (W.T.O) क्या है ?....4

PROVISIONS IN W.T.O AGREEMENT ON 9

AGRICULTURE....9

विश्व व्यापार संगठन समझौते का भारतीय कृषि एवं किसानों पर प्रभाव....11

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौता....21

सेवा क्षेत्र....23

संवैधानिक मसले....25

वैट का सच ?....30

विश्व व्यापार संगठन (W.T.O) क्या है ?

15 दिसम्बर 1994 को भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन समझौता (W.T.O. Agreement) स्वीकार कर, इस पर हस्ताक्षर किया। यह एक ऐसा अन्तरराष्ट्रीय समझौता है जिसे या तो पूरी तरह से स्वीकार करना है या पूरी तरह से छोड़ना है। अर्थात इस समझौते की कुछ शर्तों को मानना और कुछ शर्तों को छोड़ना सम्भव नहीं है। लेकिन इस समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच में बहस हो सकती है। लगभग वर्ष में एक बार या कभी–कभी 2 बार इस समझौते में शामिल देशों के प्रतिनिधियों के बीच बहस होती रहती है। दो साल में एक बार विश्व व्यापार संगठन में शामिल देशों की सामान्य सभा होती है। विश्व व्यापार संगठन में इस समय लगभग 126 देश शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्यालय जिनेवा (स्विटजरलैण्ड) में है। लेकिन महत्व की बात यह है कि स्विटजरलैण्ड ने अभी तक गैट करार या विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर तो 15 दिसम्बर 1994 को किये, लेकिन यह समझौता पूरी तरह से 1 जनवरी 2005 से लागू हुआ। जिस समय भारत सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, उस समय इसका नाम बहुपक्षीय व्यापार संगठन (M.T.O) था। लेकिन 1 जनवरी 1995 को यह नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन हो गया। महत्व की बात समझने की यह है कि यह समझौता 1 जनवरी 2005 से लागू हुआ, लेकिन भारत सरकार ने गत 10 वर्षों में इस समझौते की कई शर्तों को उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर लागू कर दिया है। विश्व व्यापार संगठन समझौते में कुल 28 विषय हैं, जो अपने आप में एक–एक समझौते के जैसे ही हैं। इस विश्व व्यापार संगठन समझौते का अपना एक इतिहास है। सन 1948 में दुनिया के देशों में व्यापार को व्यवस्थित और सरल बनाने के उद्देश्य से जनरल एग्रीमेन्ट आन ट्रेड एन्ड टैरिफ (GATT) किया गया। भारत उसी समय गैट का सदस्य बन गया था। शुरू में इसमें 23 देश शामिल हुये थे। सन् 1930 में दुनिया के देशों में भंयकर मंदी आ गयी थी। इस मंदी को दूर करने के लिये पश्चिमी देशों ने तरह–तरह के उपाय किये। इन्हीं में से एक उपाय था, दूसरा विश्व युद्ध। पश्चिमी देशों में एक मान्यता है, वह यह कि जब बहुत अधिक आर्थिक मंदी आये तो युद्ध लड़ना चाहिए। इससे हथियारों की खपत बढ़ती है और फिर हथियारों का उत्पादन बढ़ता है। हथियारों का उत्पादन पश्चिमी देशों (अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, आदि) का सबसे मुख्य उत्पादन है। पश्चिमी देशों में हथियार उद्योग के साथ 10 अन्य उद्योग जुड़े हुये हैं। इसलिये जब हथियार उद्योग में उत्पादन और खपत बढ़ती है तो बाकी अन्य 10 उद्योगों में भी खपत और उत्पादन बढ़ता जाता है। आर्थिक मंदी दूर करने के इसी उपाय के साथ 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अरबों–खरबों डालर के हथियार बिके। इससे यूरोप–अमरीका के हथियार उद्योग में बहुत तेजी आयी। इस तेजी ने बाकी दूसरे उद्योगों में भी तेजी लाने का कार्य किया।

जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कई अन्तरराष्ट्रीय समझौते हुये। इन समझौतों के आधार पर कई अन्तरराष्ट्रीय संस्थायें बनीं। सभी देशों के बीच राजनैतिक प्रश्नों

को सुलझाने के लिये एवं विश्व शांति की स्थापना के लिये संयुक्त राष्ट्र महासंघ बना। लेकिन दुर्भाग्य से इस संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना के बाद भी दुनिया के देशों के राजनैतिक प्रश्नों का समाधान अभी तक नहीं हो सका। दूसरी इससे भी बड़ी असफलता संयुक्त राष्ट्र महासंघ की यह है कि विश्व शांति की स्थापना के लिये बने इस संगठन के बाद अभी तक दुनिया में 325 छोटे–बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिसमें लाखों लोग मारे गये, करोड़ों घरों से बेघर हुये हैं। अभी हाल में ही अमरीका और उसके सहयोगी देशों द्वारा ईराक पर किये गये हमले से यह सिध्द हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ अब अमरीकी राष्ट्र संघ बन चुका है। 1945 के दूसरे विश्व युध्द की समाप्ति पर यह देखा गया कि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, तो फिर इस बिगड़ी हुयी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये दो संस्थायें बनायी गयीं। एक थी विश्व बैंक या जागतिक बैंक (World Bank) दूसरी थी, अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष। (Internationl Monetary fund) विश्व बैंक का कार्य था, युद्ध में बरबाद हुये देशों के अधिसंरचनात्मक ढाँचे के विकास (Infrastructural Development) के लिये कर्जा देना तथा अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष का कार्य था, देशों को भुगतान असंतुलन की स्थिति में तात्कालिक कर्जा उपलब्ध कराना। ये दोनों संस्थायें बनी तो थीं सभी संयुक्त राष्ट्र में शामिल देशों के विकास के लिये लेकिन इन संस्थाओं द्वारा विकास यूरोपीय देशों का ही हुआ। या फिर अमरीका समर्थक देशों को ही इन संस्थाओं से लाभ मिला। क्योंकि इन दोनों संस्थाओं विश्व बैंक एवं मुद्राकोष की नीतियां हमेशा से ही अमरीकी और यूरोपीय देशों के समर्थन में रही हैं और दुनिया के गरीब देशों के हितों के विरोध में रही हैं। दूसरे विश्व युद्ध में सबसे अधिक तबाही यूरोपीय देशों की ही हुयी थी। सबसे अधिक इमारतें युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों की नष्ट हुयीं। सबसे अधिक लोग भी यूरोप के ही मारे गये। विश्व बैंक द्वारा इन यूरोपीय देशों को बहुत ही कम ब्याज दर तथा आसान शर्तों पर कर्जे दिये गये। इन्हीं कर्जों का इस्तेमाल करके गत 50 वर्षों में यूरोपीय देश काफी ऊपर आये। विश्व बैंक और मुद्राकोष की नीतियों से अमरीका को भी काफी फायदा हुआ। विश्व बैंक तथा मुद्राकोष में धनराशि तो उन सभी देशों की लगी हुयी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं, लेकिन इस धनराशि का सबसे अधिक लाभ यूरोप एवं अमरीकी देशों को ही हुआ है।

इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर सभी देशों के बीच व्यापार को सुगम (आसान) बनाने के लिये एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था बनायी गयी। उसी संस्था का नाम गैट (GATTS) जनरल एग्रीमेन्ट आन ट्रेड एन्ड टैरिफ, एक समझौते के आधार पर रखा गया। इस समझौते को हिन्दी में "तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौता" कहा जाता है। 30 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया यह समझौता जनवरी 1948 से लागू हुआ। समझौते की मूल भावना यह थी, कि देशों के बीच होने वाले आपसी व्यापार में वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स, कस्टम ड्यूटी या आयात करों के विवादों को सुलझाना और व्यापार को बढ़ावा देना। समझौते के प्रारंभ में 23 देश इसमें शामिल हुये, जिनमें भारत भी था। समय–समय पर इसमें अन्य देश भी शामिल होते गये। दूसरे देश यूरोपीय थे, एवं अमरीका भी इसमें शामिल था। सन् 1948 से लेकर सन् 1986 तक इस गैट द्वारा व्यापार को काफी बढ़ावा मिला। जो भी आपसी झगड़े सदस्य देशों के बीच तटकरों से सम्बन्धित हुये, उनका समाधान इस गैट में होता रहा। दुनिया के देशों में निर्यात–आयात का व्यापार दो तरीके से होता है। एक तो द्विपक्षीय पद्धति से दूसरा बहुपक्षीय तरीके से। द्विपक्षीय पद्धति में दो देश आपसी निर्यात व्यापार के लिये समझौते करते हैं।

बहुपक्षीय पद्धति यें सभी देश सामूहिक व्यापारिक नियम तय करके व्यापार करते हैं। गैट करार हमेशा से ही बहुपक्षीय व्यापार के लिये ही बना था। 1948 से 1986 तक इस गैट करार के माध्यम से बहुपक्षीय व्यापार काफी अच्छा चला। लेकिन इस बहुपक्षीय व्यापार में अमरीका एवं यूरोपीय देशों को जितना फायदा हुआ, उतना फायदा गरीब देशों (एशियाई, अफ्रीकी देश) को नहीं हो पाया। चीन एक ऐसा देश रहा जिसने 53 सालों तक गैट करार को स्वीकार नहीं किया। बिना गैट की मदद के चीन ने मात्र द्विपक्षीय व्यापार करके ही अपने को आर्थिक जगत की ऊचाईयों तक पहुँचाया।

सन् 1980 के आस–पास पश्चिमी देशों के बाजारों में फिर से मंदी का दौर शुरू हुआ। इस मंदी के दौर का सबसे बुरा असर अमरीका के ऊपर पड़ा। अमरीका की कई बड़ी–बड़ी कम्पनियाँ दिवालिया हो गयी। कई अमरीकी कारखाने बन्द हो गये। अमरीका में हजारों लोग बेरोजगार होने लगे। इसी तरह यूरोप में भी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इस 80 के दशक की आर्थिक मंदी को दूर करने के लिये अमरीका ने फिर युद्ध का सहारा लिया। ईरान और ईराक के बीच लगभग 8 वर्षों तक चलने वाले युद्ध में अमरीकी कम्पनियों ने अरबो–खरबों डालर के हथियार बेच कर अपने उद्योगों की मन्दी को कम करने का प्रयास किया। इसी तरह खाड़ी युद्ध को भी अमरीका ने अपने हित में ही इस्तेमाल करके अरबों–खरबों डालर के हथियारों का व्यापार किया। हाल ही में अमरीका द्वारा अफगानिस्तान एवं ईराक पर किया गया हमला भी इसी रणनीती का हिस्सा है। यूरोपीय–अमरीकी अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हर 30–40 साल बाद इसमें मंदी आती है। उस मंदी को दूर किये बिना इन अमरीकी–यूरोपीय देशों का गुजारा नहीं चलता है। इसलिये अमरीकी–यूरोपीय अर्थशास्त्रियों ने इस आर्थिक मंदी का स्थायी इलाज करने की कोशिशों में गैट करार को आधार बना लिया है। उद्देश्य यह है कि मंदी को दूर करने के लिये अमरीकी– यूरोपीय सामान दुनिया के तमाम देशों के बाजारों में बिकते रहें। अमरीकी एवं यूरोपीय बाजारों में एक तरह की स्थिरता आ चुकी है। इसलिये अमरीकी–यूरोपीय अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिये, दूसरे देशों के बाजारों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। अतः अमरीकी–यूरोपीय देशों की सरकारों ने गैट करार का उपयोग करके दूसरे देशों के बाजारों को और अधिक खुलवाने का प्रयास शुरू किया है।

सन् 1986 में गैट के सदस्य देशों की एक सामान्य सभा लैटिन अमरीका के एक देश उरूग्वे में शुरू हुयी। इस बैठक में अमरीका और यूरोपीय देशों की दादागिरी में गैट करार की सीमा को बढ़ाया गया। मूलतः 1948 से 1986 तक गैट एक बहुपक्षीय व्यापार का मंच था, तटकरों (सीमाशुल्क) का विवाद सुलझाने के लिये। लेकिन उरूग्वे दौर की वार्ताओं ने इसका स्वरूप पूरी रह से बदल दिया। गैट करार में सीमा शुल्क के मुद्दों के अलावा 28 और विषय शामिल कर दिये गये। जिसमें कृषि व्यापार, कपड़ा व्यापार, बौद्धिक सम्पदा अधिकार जैसे अवांछित विषय शामिल कर लिये गये। हालांकि इन विषयों पर कोई और समझौता होने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ये सभी विषय सभी देशों के आन्तरिक विषय हैं। गैट करार का 1948 से 1986 तक यह नियम रहा कि देशों के आन्तरिक विषयों को गैट करार के तहत नहीं लाना चाहिए। क्योंकि ये सभी विषय आन्तरिक सम्प्रभुता से जुड़े हुये हैं। लेकिन अमरीकी दबाव में आन्तरिक सम्प्रभुता से जुड़े हुये विषय भी शामिल कर लिये गये और एक नया समझौता तैयार हुआ। इस नये समझौते को तैयार करने के लिये जो टीम बनायी गयी, उस

टीम के मुखिया आर्थर डंकल नाम के एक अमरीकी थे। इसलिये इस समझौते का, शुरूआती नाम "डंकल ड्राफ्ट" भी पड़ गया। सन् 1986 से यह डंकल ड्राफ्ट बनना शुरू हुआ और 1991 में सभी सदस्य देशों के सामने विचार–विमर्श के लिये रखा गया। इस ड्राफ्ट को बनाने वाली समिति में पूरी तरह अमरीकी–यूरोपीय प्रतिनिधियों का दबदबा था, इसलिये इसमें अधिक से अधिक ऐसी शर्तें डाली गयी जिनसे अमरीकी एवं यूरोपीय देशों को अधिक लाभ हो। गरीब अफ्रीकी, ऐशियाई, लैटिन अमरकी देशों ने थोड़ी कोशिश की, कि गरीब देशों के हितों में भी लाभ देने वाली शर्तें ड्राफ्ट में शामिल हों, लेकिन इसमें कुछ खास सफलता नहीं मिल सकी। भारत की ओर से भी काफी कोशिश 1986 से 1991 के बीच गरीब देशों के हितों को साधने वाली शर्तें ड्राफ्ट में लाने की हुयीं, लेकिन भारत सरकार को इसमें सफलता नहीं मिल सकी। इसलिये भारत सरकर ने 1986 से लगातार यह कहना शुरू किया, कि गैट करार की शर्तें भारतीय हितों के अनुकूल नहीं हैं। इस आधार पर भारत सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। लगातार भारत सरकार यह कहती रही कि जब तक गैट करार के वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जायेगा, तब तक हस्ताक्षर नहीं किये जायेंगे। संसद के अंदर और संसद के बाहर भारत सरकार की ओर से गैट करार पर हस्ताक्षर नहीं करने का वायदा किया गया। लेकिन 15 दिसम्बर 1994 को भारत सरकर ने देश के लोगों को धोखा देते हुये और संसद के खिलाफ वायदाखिलाफी करते हुये गैट करार पर हस्ताक्षर कर दिये। देश के लिये यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण था। सन् 1991 से सन् 1994 के बीच संसद में गैट करार के विषय पर मात्र 11 घंटे ही चर्चा हुयी। हमारी संसद में बहुत बार फालतू विषयों पर घंटों–घंटों चर्चा होती है और अनावश्यक हंगामें होते रहते हैं। लेकिन गैट करार जैसे गंभीर एवं संवेदनशील मुद्दे पर 4 वर्षों में मात्र 11 घंटों की ही चर्चा हो सकी। भारत में 28 राज्य और 9 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन किसी भी राज्य की विधानसभा और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि सभा में गैट करार की शर्तों एवं प्रस्तावों पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। थोड़ी बहुत चर्चा पं. बंगाल और पंजाब विधानसभा में हुयी लेकिन यह भी अधूरी रही। हालांकि गैट करार के कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध राज्यों के विशेष अधिकारों के साथ है। गैट करार के बारे में जो भी थोड़ी–बहुत चर्चा हुयी है, तो वह समाचर–पत्रों एवं पत्रिकाओं में ही हो पायी है। भारत देश में प्रकाशित होने वाले कई महत्वपूर्ण दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिक पत्रिकाओं और मासिक पत्रिकाओं में गैट करार पर लेख लिखे गये। इन्हीं पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से भारत के नागरिकों को गैट–करार के बारे में थोड़ी जानकारी हो पायी है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि, वह गैट–करार के बारे में अधिक से अधिक जानकरी संसद में दे और देश के लोगों को भी बताये। लेकिन भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं पूरा किया।

30 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया गैट करार , जनवरी 1948 से लागू हुआ। समय–समय पर इसमें अन्य दूसरे देश भी शामिल होते गये। समय–समय पर गैट करार की वार्ताओं के दौर होते गये। वार्ता का पहला दौर क्यूबा देश के हवाना शहर में हुआ। वार्ता का दूसरा दौर 5 अगस्त 1949 फ्रांस के ऐन्सी शहर में हुआ। वार्ता का तीसरा दौर इंग्लैंड के टार्के शहर में हुआ। वार्ता के इस दौर में 4 और नये देश गैट करार में शामिल हुये। इसी तरह गैट वार्ता का चौथा दौर मई 1956 में जिनेवा में हुआ। गैट वार्ता का पांचवा दौर 1960

में, छठ्वां दौर 1964 में, सातवां दौर 1973 में टोक्यों में, आठवां दौर 1982 में जिनेवा में तथा नवां दौर 1986 में उरूग्वे देश में हुआ। 1986 के पहले और गैट करार शुरू होने तक कृषि विषय इसमें शामिल नहीं था। 1948 से 1986 तक गैट करार में सिर्फ वस्तुओं के व्यापार का ही मुद्दा शामिल था। यह वस्तुओं का व्यापार भी एक विशेष व्यापार ही होता था। देश की सीमाओं के बाहर का व्यापार अर्थात विदेश व्यापार से ही सम्बन्धित मुद्दे गैट करार में शामिल रहे। गैट करार में सम्बन्धित सदस्य देशों के आयात–निर्यात से सम्बन्धित आपसी झगड़ों को सुलझाने की ही व्यवस्था बनायी गयी थी। प्रत्येक देश बाहर से आनेवाली वस्तुओं पर आयात कर तथा अन्य कई तरह के करों को लगाता है। इन करों की ऊँची दरें अक्सर ही झगड़ों का कारण बनती रहीं हैं। प्रत्येक देश अपने–अपने स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिये बाहर से आनेवाली विदेशी वस्तुओं पर अधिक से अधिक मात्रात्मक प्रतिबन्ध और ऊँचा आयात कर लगाता रहा है। इन्हीं अधिक आयात करों में तथा मात्रात्मक प्रतिबन्ध में छूट लेने–देने के लिये 1948 से 1986 तक गैट वार्तायें हुईं। इन वार्ताओं के माध्यम से देशों ने एक दूसरे को आयात करों तथा मात्रात्मक प्रतिबन्धों में अपने–अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुये कई तरह की छूटें दीं।

सन 1986 की उरूग्वे दौर की गैट वार्ता में पहली बार कृषि विषय, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विषय, सेवा क्षेत्र का विषय आदि शामिल किये गये। इन नये विषयों को गैट करार में शामिल करने पर काफी विरोध हुआ। यह विरोध सबसे अधिक अफ्रीकी देश, एशियाई देश तथा लैटिन अमरीकी देशों की ओर से हुआ। इस विरोध में भारत, नाईजीरिया, ब्राजील, मिस्त्र जैसे देश सबसे आगे थे। लेकिन अमरीकी–यूरोपीय देशों के सामने इन देशों का विरोध धीरे–धीरे कम होता गया। अन्त में इन सभी देशों ने अमरीका और यूरोपीय देशों के सामने घुटने टेक दिये। गैट करार में कृषि समझौता, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौता, सेवाक्षेत्र समझौता आदि अमरीकी और यूरोपीय देशों के दबाव में शामिल किया गया। कृषि समझौते को गैट करार में शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषि को उद्योग और व्यापार जैसा ही मानना और दुनिया के तमाम देशों का बाजार कृषि उत्पादों के लिये उपलब्ध कराना।

गैट करार में कुल 28 अध्याय हैं। जिनके कुछ नाम हैं। जैसे कृषि समझौता, पूँजीनिवेश समझौता, सेवा व्यापार का समझौता, बौद्धिक सम्पदा अधिकार का समझौता आदि–आदि। इन सभी अध्यायों के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। यह गैट करार हमारे देश के संविधान के पूरी तरह विरूद्ध है, यह भी जानना जरूरी है। हमारे देश की संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के विरूद्ध भी है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मान्यताओं के पूरी तरह खिलाफ है यह गैट करार। यह गैट करार अफ्रीकी, ऐशियाई और लैटिन अमरीकी देशों की लूट का वही रास्ता खोल रहा है, जो 500 वर्षों पहले कोलम्बस एवं वास्को–डिगामा जैसे लुटेरों ने खोला था। कोलम्बस, वास्को डिगामा तथा अन्य यूरोपीय देशों ने 500 वर्ष पूर्व जो लूट–मार पूरी दुनिया के लगभग 60–70 देशों में की थी, वही अब विश्व व्यापार संगठन करार के कानूनी स्वरूप से होने जा रही है।

PROVISIONS IN W.T.O AGREEMENT ON AGRICULTURE

विश्व व्यापार संघठन के कृषि विषयक समझौते में कुल 13 खण्ड हैं। इन खण्डों में 21 अनुच्छेद (Articles) हैं। पहले खण्ड में सभी तरह की परिभाषायें दी गयी हैं। दूसरे खण्ड में उन कृषि उत्पादों की सूची दी गयी है, जिन्हें इस समझौते में शामिल किया गया है। यह पूरी सूची इस कृषि समझौते के परिशिष्ट–1 (Annex-1) में दी गयी है। इस कृषि समझौते में कुल 5 परिशिष्ट दिये गये हैं। इस कृषि समझौते में दूसरे खण्ड से वे सभी अनुच्छेद शुरू होते हैं, जो शर्तों के रूप में मानने होंगे। नीचे कुछ मुख्य अनुच्छेदों को गैट करार की भाषा अंग्रेजी में जैसे का तैसा दिया जा रहा है। इन अनुच्छेदों का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, वह आगे दिया गया है। पहले हम इन अनुच्छेदों को जान लें, फिर उनके दुष्प्रभाव को जानना अच्छा होगा।

Article-3

1) The domestic Support and export subsidy commitments in part IV of each members schedule constitute commitments limiting subsidiration and are here by made an integral part 1994.

2) Subjects to the provisions of article 6, a member shall not provide support in favour of domestic producers in excess of the commitments levels specified is section I of part IV of its schedule.

3) Subject to the provisions of para 2(b) and 4 of article 9, a member shall not provide export subsidies listed in para 1 of article 9 in respect of the agricultural products or groups of products specified in section II of part IV of its schedule in excess of the budgetary outlay and quantity commitment levels specified there in and shall not provide such subsidies in respect of any agricultural product not specified in that section of its schedule.

MEANING OF ARTICLE - 3

This article deals with domestic support and export subsidy reduction commitments as specified in each member's schedule. It bars a member from granting export subsidies not specified in section II of part IV of its schedule. The article also brings domestic support and export subsidy reduction commitments with in pesrview of Gatt 1994

ARTICLE - 4

1) Market access concessions contained in schedules relate to bindings and reductions of tariffs, and to other market access commitments as specified there in.

2) Members shall not maintain, resort to, or revert to any measure of the kind which have been required to be converted into ordinary customs duties expect as otherwise provided for in Articls 5 and annex. 5

MEANING OF ARTICLE - 4

The key elements of the market access commitments for agricultural products are the establishments of tariffication, tariff reduction, and the binding of all agricultural tariffs. commitments were also undertaken by members to provide minimum market access for agricultural products through expahsion of tariff rate quotas.

In the tariffication process the quantitative restrictions, variable levis, import bans or other non tariff measures are replaced by an import duty so that there is no change in the level of protection. The developed countries are undertook to cut their agriculture tariffs by an average of 36% over six years. While developing countries are committed to slash the same by 24% in ten years.

विश्व व्यापार संगठन समझौते का भारतीय कृषि एवं किसानों पर प्रभाव

गैट करार या विश्व व्यापार संगठन समझौते में कृषि विषय से सम्बन्धित एक समझौता है। इस कृषि विषयक समझौते में 21 अनुच्छेदों के तहत लगभग 56 शर्तें हैं। ये सभी शर्तें भारतीय कृषि और किसानों पर लागू होती जायेंगी। भारत की केन्द्र सरकार और सभी राज्यों की राज्य सरकारें इन्हीं शर्तों को अब नियम–कानून के रूप में लागू करेंगी। गैट करार जब सबसे पहले 30 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया था, तब उसमें कृषि विषय शामिल नहीं था। 2 जनवरी 1948 से गैट करार दुनिया के 23 देशों में लागू हुआ था। ये 23 देश इस प्रकार थे – आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, वर्मा, कनाडा, श्रीलंका, चिली, क्यूबा, चेकोस्लाविया, फ्रांस, भारत, लेबनान, लक्जमवर्ग, हालैण्ड, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, पाकिस्तान, रोडेशिया, सीरिया, दक्षिणी, अफ्रीका, ब्रिटेन, अमरीका, चीन।

दुनिया के सभी देशों की सरकारें अपने किसानों को और कृषि उत्पादन को तरह–तरह से मदद देती हैं। किसानों को उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, किसानों को रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना, किसानों को कम ब्याज पर ऋण दिलाना, समय–समय पर किसानों के कर्जों को माफ करना या कर्जों का ब्याज माफ करना, किसानों को सस्ती दर पर बिजली पानी उपलब्ध कराना, बाहर से आने–वाले कृषि उत्पन्न पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाना या उन पर अधिक आयात कर लगाना यह सभी कुछ सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ तो प्रत्यक्ष सब्सिडी और कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। गैट करार के कृषि समझौते में मुख्य रूप से तीन क्षेत्र शामिल हैं। कृषि क्षेत्र के समझौते में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है– किसानों को मिलनेवाली और कृषि उत्पादन को मिलनेवाली सरकारी सहायता (सब्सिडी)। दूसरा क्षेत्र है बाजार पहुँच (Market access) अर्थात सम्बन्धित देशों में एक निश्चित मात्रा में विदेशी कृषि उत्पादों की बिक्री निश्चित करना। तीसरा क्षेत्र है कृषि उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने के लिये सहायता देना।

गैट करार के कृषि समझौते के अनुच्छेद–3 (Article 3) के अनुसार "कृषि कार्य और किसानों को दी जाने वाली घरेलू सहायता (Domestic Support) अर्थात सब्सिडी को लगातार कम करना होगा"। भारत जैसे देशों के लिये यह सब्सिडी की कमी गैट करार के हस्ताक्षर होने से गैट करार के लागू होने तक अर्थात 15 दिसम्बर 1994 से 1 जनवरी 2005 तक 24% कम कर दी गयी है। अर्थात 1 जनवरी 2005 तक भारत के किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में 24% की कमी कर दी गयी है। आगे आने वाले समय में यह कमी और होती चली जायेगी। आने वाले प्रत्येक वर्ष में यह कटौती और अधिक होते–होते मात्र 5% तक रह जायेगी। अर्थात गैट करार के अनुसार "भारत देश की सरकारें अपने किसानों को कुल कृषि उत्पादन का 5% से अधिक सब्सिडी नहीं दे सकती हैं।" यह सब्सिडी अलग–अलग कृषि उत्पादों के हिसाब से भी हो सकती है या कुल कृषि उत्पादों के हिसाब से भी हो सकती है।

गैट करार के कृषि समझौते के अनुच्छेद 3 का अब भारतीय परिस्थिति में विश्लेषण करें तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा यह समझ में आयेगा। भारत के किसानों को दो प्रकार से घरेलू सहायता (सब्सिडी) दी जाती है। एक है प्रत्यक्ष दूसरी है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सहायता (Direct Subsidy) क्या है ? जब भारत का किसान अपनी कृषि उत्पन्न वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिये लाता है तो भारत की सरकार और भारत के राज्यों की सरकारें उन सभी कृषि वस्तुओं के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती हैं। यह मूल्य किसानों द्वारा वस्तुओं के उत्पादन लागत और उसमें थोड़ा सा लाभांश पर आधारित होता है। सामान्य रूप से इस समर्थन मूल्य का अर्थ है कि किसानों द्वारा उत्पादित कृषि वस्तुओं को उस समर्थन मूल्य से कम कीमतों पर खरीदा नहीं जायेगा। भारत देश में किसानों को दिया जाने वाला यह समर्थन मूल्य अन्तरराष्ट्रीय बाजार के खुले मूल्य से अक्सर अधिक होता है। उदाहरण के लिये अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में कपास का मूल्य सन् 2005 में 1500 से 1700 रूपये क्विंटल के आस–पास है, जबकि भारत के कई राज्यों में कपास का समर्थन मूल्य 2000 से 2500 रूपये क्विंटल के आस–पास है, इसका अर्थ है कि यदि किसान अपना कपास खुले बाजार में बेचे तो उसे एक क्विटंल कपास का भाव मात्र 1500 रू. से 1700 के बीच में ही मिलेगा। जबकि वही कपास को वह सरकारी खरीद संस्थाओं को बेचे तो उसे 2000 रू. क्विंटल से 2500 रू क्विंटल के बीच (कपास की गुणवत्ता के आधार पर) भाव मिलेगा। इसी तरह अन्तरराष्ट्रीय बाजार में गेहूँ का खुला भाव 450 रू. क्विंटल से लेकर 580 रू. क्विंटल के बीच में है। जबकि भारत के कई राज्यों में गेहूँ का समर्थन मूल्य इससे अधिक हैं। इसी तरह अन्य सभी कृषि उत्पादों के बारे में होता है। इन उदाहरणों से प्रत्यक्ष सब्सिडी को समझना अब आसान है। अन्तरराष्ट्रीय खुले बाजार के मूल्य से अधिक मूल्य पर किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदना ही प्रत्यक्ष सब्सिडी कहलाता है।

इसी तरह दूसरी अप्रत्यक्ष सब्सिडी होती है। भारत में किसानों को रासायनिक खाद यूरिया, डी. ए. पी. सुपर फास्फेट आदि उत्पादन लागत से कम मूल्य पर दी जाती है। उदाहरण के लिये एक क्विंटल (100 किलोग्राम) यूरिया की उत्पादन लागत लगभग 980 रू. के आस–पास है लेकिन यह 100 किलो यूरिया किसानों को लगभग 560 रू. के आस–पास दिया जाता है। इसी तरह डी. ए. पी. और सुपर फास्फेट की कीमतों को भी कम करके किसानों को बेचा जाता है। उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसानों को यूरिया, डी.ए.पी., सुपर फास्फेट तथा अन्य रासायनिक कीटनाशकों को उपलब्ध कराना, अप्रत्यक्ष सब्सिडी कहलाता है। किसानों को इस अप्रत्यक्ष सब्सिडी के तहत उत्पादन लागत से कम कीमत पर बिजली और पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरण के लिये भारत के राज्यों में उद्योगों को बिजली 4 रू. यूनिट से 6 रू. यूनिट के बीच में दी जाती है, जबकि किसानों को यह बिजली 1 रू. यूनिट से 2 रू. यूनिट के बीच में ही मिलती है। उद्योगों को जिस भाव में पानी दिया जाता है, किसानों को उससे कहीं कम भाव पर पानी दिया जाता है। गैट करार के कृषि समझौते के अनुच्छेदे–3 के अनुसार अब भारतीय किसानों को मिलने वाली इसी घरेलू सहायता (प्रयत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी) में लगातार कमी करनी होगी। गत 10 वर्षों में सन् 1994 से 2004 तक 24% सब्सिडी तो भारत सरकार कम कर चुकी है। जिसके कारण भारत में यूरिया, डी.ए.पी. और सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक खादों के भाव बहुत बढ़े हैं और

किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य में भी कमी आयी है। इसी कारण से गत वर्षो में किसानों को दी जाने वाली बिजली और पानी दोनों मंहगे हुये हैं। आगे भी गैट करार के कारण सरकार लगातार सब्सिडी में कटौती करेगी और किसानों का फसलों का समर्थन मूल्य कम होता जायेगा और यूरिया, डी.ए.पी. जैसे रासायनिक खाद बहुत मंहगे होते जायेंगे। इसके कारण किसानों का कृषि उत्पादन खर्च तो बढ़ता जायेगा लेकिन आमदनी कम होती जायेगी। एक ओर कृषि उत्पादन मंहगा दूसरी ओर फसलों को समर्थन मूल्य भी नहीं। किसानों को दोनों ओर से घाटा होगा।

गैट करार के कृषि समझौते के अनुच्छेद –4 के अनुसार "भारत के बाजारों को विदेशी कृषि उत्पादों के लिये पूरी तरह से खोलना होगा।" भारत के बाजारों में बाहर से आने वाले किसी भी कृषि उत्पाद पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है। अभी भारत के बाजारों में विदेशी कृषि उत्पादों के आने पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध और बहुत अधिक आयात कर लगाये जाते हैं, ताकि सस्ता विदेशी अनाज तथा अन्य कृषि वस्तुयें भारत के बाजारों में भर नहीं जायें। गैट करार के कृषि समझौते के अनुच्छेद 5–4 के तहत अब भारत सरकार बहुत अधिक आयात कर विदेशी कृषि वस्तुओं पर नहीं लगा सकेगी। सभी विदेशी कृषि वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने होंगे। इसके कारण भारतीय बाजारों में विदेशी कृषि वस्तुयें अब अधिक मात्रा में आयेंगी। गैट करार के लागू होने तक गत 10 वर्षों में भारत सरकार ने विदेशी वस्तुओं पर आयात करों में 35% से लेकर 70% तक कटौती कर दी है। गैट करार के अनुसार अब कई विदेशी वस्तुओं पर नाम मात्र के लिये 5% तक का ही आयात कर लगेगा। ऐसी स्थिति में विदेशी सस्ते अनाज एवं अन्य कृषि वस्तुयें भारत में अधिक मात्रा में आयेंगी। जिसके कारण बाजार में वस्तुओं की मांग कम और उपलब्धता अधिक होगी। इसके चलते बाजार में कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट होगी, इस कारण भारतीय किसानों को उनकी उपज का मूल्य और भी कम मिलेगा। इसका धीरे–धीरे यह दुष्परिणाम होगा कि भारतीय किसान कई कृषि उत्पादों की खेती कम करते जायेंगे और फिर एक समय भारत में कृषि वस्तुओं की कमी आयेगी और देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी।

गैट करार के कृष समझौते के अनुच्छेद–7 एवं अनुच्छेद–9 के अनुसार "सभी तरह के कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी में कटौती करनी होगी एवं अन्य व्यापार विरोधी सब्सिडी भी समाप्त करनी होगी।" अर्थात भरतीय कृषि वस्तुओं को निर्यात के लिये भारत सरकार जो भी मदद या प्रोत्साहन देती है वह सभी बन्द करना होगा। निर्यात को दी जाने वाली सरकारी मदद को मुक्त व्यापार के रास्ते में अवरोध माना जाता है। इसलिये सभी निर्यात सब्सिडी को कृषि वस्तुओं से हटाना होगा। ऐसी स्थिति में भारतीय कृषि वस्तुओं का निर्यात अधिक मंहगा हो जायेगा। निर्यात मंहगा होने की स्थिति में अन्तरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृषि उत्पाद कम बिकेंगे इसका सबसे बुरा असर भारतीय निर्यातकों एवं किसानों पर पड़ेगा। भारत देश से जो कृषि उत्पाद सबसे अधिक निर्यात किये जाते हैं, उनमें चाय, कॉफी, कपास, सब्जियाँ, फल, चावल, गेहूँ, घी, सूखा मेवा, आदि प्रमुख हैं। इनकी अन्तरराष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत है। भारत से होने वाले कुल निर्यात में कृषि उत्पादों एवं प्राथमिक वस्तुओं का हिस्सा बहुत अधिक है। अब यह निर्यात कम होते जाने से भारत सरकार की निर्यात आमदनी कम होगी और आयात के खर्चे अधिक होंगे। जिसके चलते भारत देश का व्यापार घाटा और अधिक

होगा व्यापार घाटे की पूर्ति करने के लिये भारत सरकार के पास विदेशी कर्जा लेने का ही एक रास्ता होगा। इसके चलते विदेशी कर्ज और बढ़ेगा। विदेशी कर्जा बढ़ने से विदेशी कर्जे का ब्याज भी बढ़ेगा। फिर कर्जे का ब्याज भरने के लिये सरकार नागरिकों के ऊपर और अधिक टैक्स लगायेगी या और अधिक कर्जा लेगी। नागरिकों के ऊपर टैक्स अधिक बढ़ने से जीवन की मुश्किलें और बढ़ेगी और आन्तरिक बाजार में वस्तुयें और अधिक मंहगी होंगी। यदि भारत सरकार और अधिक विदेशी कर्जा लेगी तो भारतीय मुद्रा रूपये की कीमत और अधिक कम होगी। इसके कारण भारत में आयातित जरूरी वस्तुयें जैसे डीजल–पेट्रोल के लिये कच्चा तेल, रसोई गैस आदि मंहगे होंगे। भारत से जाने वाले निर्यात और सस्ते होंगे। इससे भारत की निर्यात आमदनी और कम होती जायेगी। अन्त में भारत विदेशी कर्जे के दुष्चक्र में और अधिक फंसता जायेगा।

गैट करार में बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौता भी हुआ है। इस समझौते में किसानों एवं कृषि विषय के लिये एक शर्त है। उसकी भी यहां पर चर्चा करना आवश्यक है। बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौता (TRIPS) में अनुच्छेद–27 के अनुसार "किसी भी आविष्कार या खोज के लिये पेटेन्ट देना होगा चाहे, वह प्रक्रिया के लिये हो या उत्पाद के लिये"। अर्थात अब भारत देश में सभी उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के लिये पेटेन्ट देना होगा जो अभी तक सिर्फ प्रक्रिया के क्षेत्र में ही अधिक दिया जाता था। भारत में अभी तक कृषि क्षेत्र और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुये क्षेत्रों एवं जरूरी दवाओं के क्षेत्र में पेटेन्ट नहीं दिया जाता था। लेकिन अब सभी क्षेत्रों में पेटेन्ट देना होगा।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौते के अनुच्छेद–65, अनुच्छेद–70 के अनुसार "पेटेन्ट अधिकार बिना किसी भेदभाव के देने होंगे, चाहे वह वस्तु या प्रक्रिया (जिसपर पेटेन्ट दिया गया है) किसी भी स्थान पर बनाई गयी हो और चाहे वह वस्तु या प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर उत्पादन की जाती हो या फिर आयात की जाती हो"

गैट करार के बौद्धिक अधिकारों से जुड़े हुये इन अनुच्छेदों का भारतीय कृषि और किसानों पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक भारत में कृषि क्षेत्र को पेटेन्ट के बाहर रखा गया था। जिसके चलते हमारे देश में हजारों किस्म के बीजों का विकास हुआ। इन बीजों की उपलब्धता भी किसानों को कम कीमतों पर होती रही। लेकिन अब गैट करार के अनुसार इन बीजों पर तथा कृषि की अन्य प्रक्रियाओं पर पेटेन्ट होने लगेगा पेटेन्ट का अर्थ होता है– एक तरह का कानूनी अधिकार जो किसी दूसरे को वह वस्तु या प्रक्रिया का उत्पादन एवं वितरण करने से रोकता है, जिस पर पेटेन्ट दिया गया है। अर्थात किसी भी वस्तु अथवा प्रक्रिया पर जिस किसी को भी पेटेन्ट मिल जाता है, वही उस वस्तु या प्रक्रिया का उत्पादन और व्यावसायिक वितरण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। इस तरह, से पेटेन्ट धारक को एक तरह का विशेषाधिकार मिल जाता है पेटेन्ट की हुयी वस्तु या प्रक्रिया पर। भारत देश में आजादी के बाद सन् 1970 में एक कानून बना था, जिसका नाम था भारतीय पेटेन्ट अधिनियम 1970। इस कानून के अनुसार भारत में सिर्फ आविष्कार को ही पेटेन्ट प्रदान किया जाता है। पेटेन्ट भी भारत में प्रक्रिया का ही दिया जाता है, उत्पाद को नहीं। प्रक्रिया पेटेन्ट की अवधि अधिक से अधिक 5 से 7 वर्ष कुछ अपवाद स्वरूप 14 वर्ष तक ही होती है। भारतीय पेटेन्ट अधिनियम में कृषि तथा बागवानी की कोई भी प्रक्रिया पर पेटेन्ट नहीं दिया जा

सकता है। इसी तरह भारतीय पेटेन्ट कानून के तहत मनुष्यों, पशुओं तथा पौधों के चिकित्सकीय शल्य चिकित्सकीय तथा अन्य आरोग्यकारी उपचारों की किसी भी प्रक्रिया पर पेटेन्ट नहीं हो सकता है। आज तक इसी पेटेन्ट कानून के तहत भारत में आविष्कारों का, उद्योगों एवं व्यापार का विकास हुआ है। 1970 से पूर्व भारत में अंग्रेजी सरकार का बनाया हुआ पेटेन्ट कानून चलता था। 1970 में भारतीय पेटेन्ट कानून बनने के बाद, अंग्रेजी समय का कानून समाप्त हुआ।

अब गैट करार के लागू हो जाने पर हमारे देश के सन् 1970 के बने हुये भारतीय पेटेन्ट कानून को बदल दिया गया है। इसलिये अब कृषि और बागवानी के क्षेत्र में भी पेटेन्ट दिये जायेंगे और उन सभी क्षेत्रों में पेटेन्ट दिये जायेंगे, जिनमें अभी तक पेटेन्ट नहीं दिये जाते थे। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव बीज उत्पादन के क्षेत्र में पड़ेगा। अभी तक जो भी बीज बीना किसी पेटेन्ट को किसानों को उपलब्ध हुये थे, उन सभी पर पेटेन्ट होने लगेगा। बीजों पर पेटेन्ट होने से उन पर कम्पनियों का एकाधिकार होगा। और कम्पनियां उन बीजों को मनमाने दाम पर हजारों प्रतिशत मुनाफे के साथ बेचेंगी। गैट करार के पेटेन्ट कायदों के अनुसार कोई भी पेटेन्ट कम से कम 20 साल तक के लिये होगा। अर्थात बीज बनाकर बेचने वाली कम्पनियाँ 20 सालों तक पूरे एकाधिकार के साथ बीज बेचेंगी। जिस कम्पनी के पास जिस बीज का पेटेन्ट होगा, उसे कोई दूसरा व्यक्ति या कम्पनी नहीं बना सकती है। आजकल विदेशी कम्पनियों ने ऐसे बीज बनाने शुरू किये हैं जो सिर्फ एक बार ही फसल का उत्पादन दे सकते हैं। उस फसल में से फिर से बीज बनाना संभव नहीं होता है। इस तरह के बीजों को बहुत मंहगा बनाकर किसानों को लूटने की पूरी तैयारी अब भारत में हो चुकी है। गैट करार का बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौता एक बहुत ही अजीब समझौता है। क्योंकि बौद्धिक सम्पत्ति एक ऐसी प्रणाली है जो किसी आविष्कारक या कम्पनी को दूसरे किसी आविष्कारक या कम्पनी द्वारा उसके आविष्कार की नकल करने से रोकने का अधिकार प्रदान करती है। यह प्रणाली आविष्कारक को एकाधिकार प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में आविष्कारक को अधिक लाभ होता है क्योंकि कोई दूसरा उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है जिस पर पेटेन्ट हो जाता है। यह अजीब इसलिये है कि सम्पत्ति की परिभाषा को ज्ञान अथवा जानकारी पर लागू किया जा रहा है। जबकि भारतीय परम्परा में ज्ञान और जानकारी कभी भी किसी की सम्पत्ति नहीं माना गया है। भारतीय संस्कृति में हजारों साल से ज्ञान और जानकारी को अधिक से अधिक बाँटने और देने की परम्परा चली आयी है। इसी आधार पर हमारे देश भारत में हजारों किस्म के शास्त्र रचे गये हैं और लाखों पुस्तकें लिखी गयी हैं। ज्ञान को भारत में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया गया है। यदि किसी के पास एक गिलास दूध है, जमीन का कोइ टुकड़ा है जिसके नीचे तेल है या बेशकीमती धातुयें है तो इसे सम्पत्ति माना जा सकता है। लेकिन जानकारी और ज्ञान के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है। दो व्यक्ति एक ही जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान के बारे में भारत में कहा जाता है कि यह बाँटने पर और अधिक बढ़ता है। भारत में यह भी माना जाता है कि ज्ञान देने वाला भी समृद्ध होता है और ज्ञान पाने वाला भी समृद्ध होता है। भारत में कभी भी ज्ञान को लाभ के साथ नहीं जोड़ा गया। भारत में ज्ञान कभी भी लाभ कमाने के लिये नहीं माना गया है। यूरोपीय–अमरीकी मान्यता में यह माना गया है कि ज्ञान के माध्यम से

अतिरिक्त लाभ लिया जा सकता है। इसलिये ज्ञान को बचाकर रखना या लाभ के लिये ज्ञान को बेचना यह पश्चिमी सभ्यता का दर्शन है। पश्चिम की पूरी की पूरी समाज व्यवस्था लाभ केन्द्रित और व्यक्ति केन्द्रित है, इसलिये जहां से भी मिले, जिससे भी मिले लाभ कमाना चाहिए, यही यूरोपीय–अमरीकी व्यवस्था का प्रस्थान बिन्दु है। गैट करार भी यूरोपीय–अमरीकी दबाव का ही नतीजा है।

गैट करार के अनुसार अब जैविक पदार्थों पर भी पेटेन्ट होना शुरू होगा जो कि एक किस्म का पागलपन होगा। क्योंकि सभी जैविक पदार्थ अपने आप पैदा, होते हैं। लेकिन अमरीका और यूरोपीय देशों में जैविक पदार्थों को गत 20 वर्षों से पेटेन्ट दिये जा रहे हैं। ये सभी पेटेन्ट अमरीका और यूरोप की बड़ी–बड़ी कम्पनियों के पास ही हैं। अब ये ही कम्पनियां भारत में आकर इन पेटेन्ट अधिकारों का भरपूर लाभ उठाने की तैयारी में हैं। पौधों के लिये सबसे पहला पेटेन्ट अमेरिका में दिया गया। यूरोप में सबसे पहला पौधे के लिये पेटेन्ट 1989 में दिया गया। यूरोप और अमेरिका में ये जो पेटेन्ट दिया गया, उसके आधार पर कम्पनियों ने इस तरह के बीज बनाना शुरू किया जो सिर्फ एक बार ही फसल दे सकें। इन कम्पनियों का तर्क है कि बीजों पर पेटेन्ट मिलने से इन कम्पनियों को यह अधिकार मिल गया है कि वे किसानों को एक वर्ष की फसल से प्राप्त बीज को बचाकर अगले वर्ष बुवाई करने से रोक सकें। इसका सीधा अर्थ है कि कम्पनियाँ हर साल बीज बेचकर हजारों करोड़ रूपयों का मुनाफा कमाना चाहती हैं। जब हर साल किसानों को नया बीज खरीदना पड़ेगा, तो बीज कम्पनियों की बिक्री और मुनाफा दोनों ही बढ़ेगा। भारत बीजों के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बाजार में से एक है। क्योंकि भारत में 70: आबादी खेती का कार्य ही करती है। भारत में लगभग 32 करोड़ एकड़ जमीन पर खेती की जाती है। हर साल 22 करोड़ टन अनाज का उत्पादन भारत में होता है। इतने अनाज उत्पादन के लिये हजारों–लाखों टन बीज की खपत हर साल होती है। भारत का यह बीज बाजार अब विदेशी कम्पनियों की गिरफ्त में आ जायेगा।

गैट करार के कृषि समझौते की इन शर्तों के अनुसार अब कृषि क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों का बेरोकटोक प्रवेश होता जायेगा। गैट करार की शर्तों का यह दुष्परिणाम होगा कि विदेशी कम्पनियाँ सस्ते अनाजों का ढेर भारत के बाजारों में लगा देंगी। क्योंकि अब विदेशी अनाजों के लिये भारत का बाजार खुल जायेगा। अभी तक विदेशी अनाजों पर भारत के बाजारों में प्रतिबन्ध लगा हुआ था। अब यह प्रतिबन्ध हट जायेगा। विदेशी अनाजों पर भारत में आयात कर भी कम होता जायेगा। भारतीय बाजार में विदेशी अनाज के कारण स्वदेशी अनाज का बाजार भाव कम होता जायेगा जिसके चलते किसानों को उनकी फसल का भाव और भी कम मिलेगा एक ओर इन्हीं शर्तो से किसानों को मिलने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी के लगातार कम होने पर रासायनिक खादों का भाव भी बढ़ता जायेगा जिसके चलते किसानों का लागत खर्च बढ़ेगा। लेकिन उन्हीं किसानों के फसल का भाव बाजार में कम होता जायेगा। जिसका अन्तिम दुष्परिणाम किसानों की गरीबी और बढ़ेगी। उनके जीवन का तनाव और अधिक बढ़ेगा। उनकी आत्महत्या की प्रवृत्ति और अधिक होगी।

सन् 1980 के दशक में अमरीका के दबाव में कई अफ्रीकी देशों में उदारीकरण की नितियाँ शुरू की गयीं। लगभग 4–5 सालों में अफ्रीकी देशों में विदेशी वस्तुओं और विदेशी

अनाजों का भरपूर आना शुरू हुआ। नाईजीरिया, सोमालिया, इथोपिया जैसे देशों में विदेशी अनाजों के भण्डार लग गये। उन देशों के किसानों का उत्पादन बाजार में बिकना कम होता गया और फिर वहाँ किसानों ने धीरे–धीरे खेती–कार्य कम करना शुरू किया। जब उन देशों का कृषि उत्पादन कम हो गया तो बाहर से आने वाले विदेशी अनाज की कीमतें बढ़ती गयीं। फिर वहां के नागरिकों की क्रय शक्ति के बाहर होते जाने पर स्थानीय नागरिकों ने अनाजों को खरीदना कम कर दिया। धीरे–धीरे ये सभी देश भुखमरी की ओर बढ़ते गये, और आज भी भुखमरी इन अफ्रीकी देशों की सबसे बड़ी समस्या हो गयी है। बीच में सन् 1983 में नाईजीरिया की सरकार ने विदेशों से आने वाले अनाज गेहूँ पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस प्रतिबन्ध के बाद नाईजीरिया के किसानों ने कसाबा, याम, ज्वार, बाजरा आदि अनाजों का उत्पादन बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का अच्छा भाव मिलना शुरू हुआ। इसके बाद अमरीकी कम्पनी कारगिल ने नाईजीरिया सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। दूसरी ओर अमरीकी सरकार ने नाईजीरिया सरकार पर दबाव डालने के लिये नाईजीरिया के वस्त्रों पर अमरीकी बाजार में प्रतिबन्ध लगा दिया। और इस तरह फिर से नाईजीरिया का बाजार विदेशी अनाजों के लिये खोल दिया गया। यही हाल सोमालिया, इथोपिया जैसे कई देशों का हुआ है।

गैट करार के माध्यम से अब यही उदारीकरण कानूनी रूप से भारत में भी लागू होने जा रहा है। किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता का बंद होना और सरकार द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य समाप्त किया जाना, ये दोनों ही नीतियाँ भारत के छोटे–छोटे किसानों को बरबाद कर देंगी। भारत देश में लगभग 75 प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। जिस देश के 75% किसान छोटे एवं मध्यम दर्जे के हों उस देश में किसानों को सरकारी आर्थिक सहायता एवं लाभकारी समर्थन मूल्य की सबसे आधिक जरूरत होती है। छोटे एवं मध्यम दर्जे के किसानों को लाभकारी मूल्य और आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर वे खेती करना कम करते हैं और अपनी जमीनें बेचना शुरू करते हैं। अमरीका जैसे देश में यही हुआ है। सन् 1950 के आस–पास अमरीकी सरकार ने उदारीकरण शुरू किया, जिसमें अमरीका के छोटे–छोटे किसान समाप्त होते गये और अमरीकी खेती बड़े–बड़े जमीदारों और कम्पनियों के हाथ में चली गयी। सन् 1950 से 1960 के बीच अमरीका के 30% छोटे किसान समाप्त हो गये। सन् 1960 से 1970 के बीच अमरीका के 26% किसान और कम हो गये। सन् 1970 से 1995 के बीच अमरीका में मात्र 10% किसान ही रह गये। अब सन् 2005 में अमरीका में मात्र 3 से 4 प्रतिशत किसान ही रह गये हैं। अर्थात अमरीका में गत 50–55 वर्षों में 96% किसान समाप्त हो गये। अमरीका की पूरी खेती अब बड़ी–बड़ी कम्पनियों के हाथ में या फिर चंद जमीदारों के हाथों में चली गयी है। अमरीका में अब खेत हजारों एकड़ में होते हैं। और इन हजारों एकड़ खेतों का मालिक कोई एक व्यक्ति या कम्पनी होती है। अमरीका के किसानों की लाखों एकड़ जमीनें अब कम्पनियों के हाथों में हैं। अब भारत जैसे देशों में भी यही होने की तैयारी है। भारत जैसे देश में जहां अधिकांश की आजीविका खेती से ही प्राप्त होती है, वहां गैट करार की शर्तों का लागू होना अत्यन्त घातक सिद्ध होगा।

भारत देश में हरित क्रान्ति से जो अपेक्षायें थीं, वे अब समाप्त हो गयी हैं। भूमि से अब इतनी कम आमदनी होती है कि उससे जीवन का पर्याप्त निर्वाहन भी संभव नहीं है। कृषि भूमि में निवेश की लागत बहुत बढ़ गयी है। क्योंकि हरित क्रान्ति का पूरा आधार रासायनिक खादें, कीटनाशक और संकर बीज ही हैं। भारत में कृषि उत्पादन इन रासायनिक खादों, कीटनाशकों एवं संकर बीजों का ही परिणाम है। हरित क्रान्ति में आगे जो भी थोड़ी बहुत संभावना है वह भी निवेश्य वस्तुओं (रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं संकर बीज) में वृद्धि करके ही संभव है। लेकिन अब निवेश्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गयी हैं और अधिक बढ़ने जा रही हैं। इसी कारण खेती की लागत बढ़ जाती है, जिससे किसानों की आय कम होती है। अब किसानों की उपज और आमदनी बढ़ाने के दो ही रास्ते हैं। एक तो रास्ता है कि किसान अपनी खेती परम्परागत एवं प्राकृतिक तरीकों से करें। जिसमें किसानों को रासायनिक खादों, कीटनाशकों एवं संकर बीजों की आवश्यकता नहीं हो और जो कुछ भी किसानों के पास ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है, उसी का इस्तेमाल करके खेती–उत्पादन किया जाय। दूसरा रास्ता है बायोटेक्नोलाजी की मदद से उन सभी संभावनाओं को खोजना जिनका आज तक उपयोग नहीं हो पाया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बायोटेक्नोलाजी के क्षेत्र में पेटेन्ट अधिकारों के बाद स्थिति बड़ी–बड़ी कुछ कम्पनियों के नियंत्रण में होगी। जिन्हें भरपूर लाभ के लिये ही व्यापार करना आता है। बड़ी–बड़ी विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बीजों के उत्पादन पर पूरा नियंत्रण करने के लिये पेटेन्ट कानूनों का ही सहारा लेंगी। पेटेन्ट व्यवस्था पूरी तरह से एकाधिकार ही प्रदान करती है। सभी विदेशी कम्पनियां चाहती हैं कि उन्हें बाजार में किसी भी तरह की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़े, इसीलिये ये कम्पनियाँ पेटेन्ट चाहती हैं। क्योंकि ऐकाधिकार होने से अधिकतम मुनाफा मिलता है और मनमानी कीमत पर व्यापार करने का मौका मिल जाता है। सभी विदेशी कम्पनियां विज्ञापनबाजी अंधाधुंध करती हैं। आम तौर पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जितना पैसा शोध एवं अनुसंधान पर खर्च करती हैं, उससे कई गुना अधिक विज्ञापनों पर खर्च करती हैं। जिन कम्पनियों को बीजों पर पेटेन्ट मिल जायेंगे, उन बीजों को किसानों के बीच में लगातार विज्ञापन करके बेचा जायेगा। इन विज्ञापनों की सत्यता को जांचने का किसानों के पास कोई तरीका नहीं है। कई बार विदेशी कम्पनियाँ अपने पुराने ही बीजों को विज्ञापनों के माध्यम से नया बताकर बेचती रहेंगी और मुंहमांगे दाम किसानों से वसूलती रहेंगी और कोई इसे चुनौती भी नहीं दे पायेगा। जब पेटेन्ट के समाप्त होने का 20 वर्ष का समय आयेगा तभी ये कम्पनियाँ अपने बीजों में थोड़ा सा परिवर्तन करके फिर से नया पेटेन्ट ले लेंगी और अगले 20 साल तक फिर लगातार इन बीजों को बेचकर मुनाफा कमाती रहेंगी। यह पेटेन्ट का हथियार विदेशी कम्पनियों के हाथों में एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो अंधाधुंध मुनाफा कमाने का जरिया है। खेती के मामले में हमें जिन बड़ी–बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसमें से एक समस्या है कि अच्छी किस्म के बीजों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। भारत में बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के कमजोर होने के कारण, किसानों तक वे नई और उपयोगी किस्में नहीं पहुंच पा रही हैं, जिनका विकास सरकारी शोध संस्थानों में हो चुका है। हालांकि भारत में कई छोटी–छोटी स्वदेशी कम्पनियाँ इसमें आगे आयीं हैं, लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। इन कम्पनियों को आगे बढ़ाने एवं उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इन कम्पनियों के अतिरिक्त

किसानों के संगठन बनाकर, बीजों की उपलब्धता करायी जाये। इन संगठनों को वैज्ञानिकों की भी मदद मिले। किसानों की सहकारी समितियाँ भी यह कार्य कर सकती हैं। पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान और किसानों की मांग के अनुरूप यह वैकल्पिक व्यवस्था किसानों को उन नई किस्म के बीजों को उपलब्ध करा सकती है, जिनका विकास हमारे देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में हो चुका है।

अभी तक गैट करार के पहले भारत में बीजों का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के द्वारा, छोटी–छोटी निजी भारतीय कम्पनियों के द्वारा किया जाता है। ये कम्पनियाँ अन्य दूसरी कम्पनियों द्वारा उत्पादित बीजों का भी उत्पादन करने के लिये स्वतन्त्र रही हैं। किसानों को भी अभी तक बीज बनाने का अधिकार रहा है। अर्थात जो बीज किसान बाजार से खरीदते हैं, वही बीज स्वयं भी बना सकते हैं। इन बीजों को बनाकर किसान बेच भी सकता है। अतः भारत में बीज उद्योग में बहुत संभावनायें एवं क्षमता है। अतः राष्ट्र के हित में भारत के 70 करोड़ किसानों के हित में इन संभावनाओं एवं क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन गैट करार के लागू होने से ये सारी संभावनायें समाप्त हो जाने वाली हैं क्योंकि पेटेन्ट अधिकार की मदद से बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बीजों के उत्पादन और व्यापार में पूरी तरह से काबिज होने की कोशिश कर रही हैं। भारत के बारे में एक खराब सत्य यह भी है कि भ्रष्टाचार के चलते बुनियादी शोध एवं अनुसंधान तो सरकारी राष्ट्रीय प्रयोगशालायें करती हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ही मिलता है इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय प्रयोगशालायें विदेशी कम्पनियों की पिछलग्गू बन जाती हैं। अब गैट करार के लागू होने से भारत में जो छोटी–छोटी स्वदेशी बीज कम्पनियाँ विकसित हुयीं हैं, उन्हें बड़ी–बड़ी विदेशी कम्पनियों के रहमोकरम पर रहना होगा। ये छोटी–छोटी कम्पनियाँ जो भी बीज क्षेत्र में कार्य करेंगी, उनको अब रायल्टी (लाभांश) देना होगा, उन कम्पनियों को जिनके पास अधिकांश पेटेन्ट होंगे। गैट करार के लागू होने से किसान भी बीजों का उत्पादन नहीं कर सकेंगे। उन्हे तो हर बार नये बीज खरीदकर खेती करनी होगी। इस तरह भारतीय किसानों की आमदनी बड़ी–बड़ी विदेशी बीज कम्पनियों की जेबों में चली जायेगी। और किसानों को यह आमदनी देने के लिये मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पेटेन्ट होने से कितना दुष्प्रभाव हो सकता है, उसका एक उदाहरण – मान लीजिये कि चावल की फसल पर ब्लास्ट रोग की महामारी फैल जाये। इससे निपटने के लिये कोई कम्पनी चावल के बीज की ऐसी नई किस्म विकसित करे जो ब्लास्ट रोग का प्रतिरोध कर सके। ऐसी स्थिति में कोई दूसरी कम्पनी या संगठन चावल की इस किस्म को नहीं बना सकती है। चाहे वह कम्पनी थोड़ा परिवर्तन करके ही बीज विकसित करने की कोशिश करे, तो भी वह नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में ब्लास्ट रोग प्रतिरोधक किस्म के बीज की पेटेन्ट धारक कम्पनी स्वयं उत्पादन करके बाजार में 20 साल तक बेचेगी और मुनाफा कमायेगी। इस बीज का जिस भी कीमत पर पेटेन्ट धारक कम्पनी बिक्री करे किसानों को मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा

गैट करार की पेटेन्ट व्यवस्था का किसानों के हितों पर तत्काल बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन असल बात यह है, कि बायोटेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक विज्ञान का लाभ प्राप्त करने में हमें बहुत हानी उठानी पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात तकनीक की उपलब्धता की भी है। ऐसा

इसलिये है कि तकनीकी तभी तक उपलब्ध मानी जती है, जब तक उसे भारतीय परिस्थिति के अनुरूप उचित रूप से ढाल लिया जाय। लेकिन अब गैट करार के लागू होने से यह तकनीक की उपलब्धता संभव नहीं हो सकेगी। विदेशी कम्पनियों के लिये तो भारत एक बाजार है। विदेशी कम्पनियों की सभी नीतियाँ बाजार और मुनाफे के आधार पर तय की जाती हैं। इन कम्पनियों के लिये तो उन बाजारों की अधिक जरूरत है जिनमें बड़े–बड़े किसानों की जरूरतें पूरी होती हैं अतः ये कम्पनियों के लिये तकनीकी वही अच्छी है जो बड़े–बड़े किसानों के काम आये। ध्यान देने की यह महत्वपूर्ण बात है कि हरित क्रान्ति के दौर में अनाज की बौनी किस्मों का विकास राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में ही हुआ था। ये सभी किस्में सभी के लिये उपलब्ध थीं। सर्वसाधारण के लिये इन बीजों की सुलभता रही, यह सबसे महत्वपूर्ण है।

विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ केवल उन्हीं बीजों का उत्पादन करती हैं, जिनका विकास उन कम्पनियों ने किया हो। सामान्य रूप से ये कम्पनियाँ पहले कच्चे बीज बनाती हैं। फिर उन कच्चे बीजों का निर्यात इन कम्पनियों के विशेष केन्द्रों को किया जाता है। बाद में उन बीजों को आगे दूसरे देशों को भेजा जाता है। इसका परिणाम होता है कि इस निर्यात से उन देशों को सबसे अधिक फायदा होता है, जो देश इन कम्पनियों के होते हैं। विकासशील देशों का उपयोग विदेशी कम्पनियाँ अच्छे मौसम और सस्ते श्रम के लिये ही करती हैं। भारत में अभी तक जितने भी अच्छे बीजों का विकास हुआ है। वे सब सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों या भारतीय कम्पनियों के द्वारा ही विकसित हुये हैं। भारत की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने भी काफी अच्छे बीजों का विकास किया है।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौता

1 जनवरी 2005 से नई पेटेन्ट व्यवस्था लागू हो गई है। इसके पूर्व 31 दिसम्बर को केन्द्र सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिये 'अध्यादेश' का सहारा लिया। संसद के फरवरी 2005 के बजट सत्र में सरकार ने राजनैतिक कलाबाजियों के जरिए पेटेंट बिल पारित करवा लिया है। अब भारतीय पेटेंट कानून 1970 बदल गया है।

नई पटेन्ट व्यवस्था, विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPS) समझौते के तहत लागू की जा रही है। इस बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समझौते को जानना हम सबके लिए आवश्यक है।

ट्रिप्स समझौते के खण्ड 5 का अनुच्छेद 27 कहता है "Patents shall be available for any inventions, whether products or processes in all fields of technologies" यानि तकनीक के सभी क्षेत्रों में उत्पाद और प्रक्रिया पेटेन्ट दिये जायेंगे। स्वयं प्रजनित पौधों और पशुओं को छोड़कर जो जीव या पौधे प्रयोगशाला में जैव तकनीक द्वारा विकसित होंगे (अनुच्छेद 3-b) उन पर भी पेटेन्ट लागू होगा। जिन जीवों को पेटेन्ट से मुक्त रखा गया है, उन पर भी चार साल बाद (समझौता लागू होने के) पुर्नविचार किया जाएगा।

ट्रिप्स समझौते के तहत खण्ड 1 के अनुच्छेद 3, 4 और 5 का कथन है कि विदेशियों की बौद्धिक सम्पति के साथ भी, अपनी ही सम्पत्ती जैसा राष्ट्रीय व्यवहार करना होगा।

नई पेटेन्ट प्रणाली के तहत औद्योगिक तकनीकी के सभी क्षेत्रों में हरेक अन्वेषण को उत्पाद और प्रक्रिया पेटेन्ट देने ही होंगे (ट्रिप्स का अनुच्छेद–27)। पेटेन्ट संरक्षण की अवधि 20 वर्ष होगी (ट्रिप्स का अनुच्छेद–33) यह नई पेटेन्ट प्रणाली अमेरिकी पेटेन्ट प्रणाली से भी अधिक दु:सह होगी। नई प्रणाली के कारण 20 वर्ष तक उत्पाद पेटेन्ट और अगले 20 वर्ष तक प्रक्रिया पेटेन्ट अधिकार होंगे। अमेरिका की तरह दवाइयों के नये कम्बीनेशनों पर, नई डोसेज पर, नये उपयोग रूपों पर भी पेटेन्ट अधिकार लागू होंगे। और ये केवल नये उत्पादों पर ही नहीं, वर्तमान उत्पादों पर भी लागू होंगे। अमेरिका में आज 85 से 90% फीसदी उत्पादों को किसी न किसी प्रकार का पेटेंट संरक्षण मिला हुआ है। इसी प्रकार भारत में भी पेटेंट और इसी तरह का संरक्षण किसी न किसी रूप में हमारे दवा उत्पादों के कम से कम 70 से 80% फीसदी पर 20 वर्ष से ज्यादा लम्बी अवधि के लिये लगाने होगें।

परिणामस्वरूप एकछत्र उत्पाद पेटेंट एकाधिकार कायम हो जाने से दवाइयों के दाम दस गुना से ज्यादा यानि 1000 फीसदी तक बढ़ जाने की सम्भावना है। जिन देशों में उत्पाद पेटेन्ट प्रणाली लागू है उनके उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। मान लीजिए रेनीटीडीन – जैनेटिक दवाई ग्लैक्सो नामक बहुराष्ट्रीय कम्पनी बनाती है और इसका दस गोली का पत्ता पाकिस्तान में 260 रू. में, अमेरिका में 744.65 रूपये में, इंग्लैण्ड में 481.31 रूपये में बेचा जाता है। इन सभी देशों में उत्पाद पेटेंट प्रणाली लागू है जबकि भारत में यही दवा मात्र 29.03 रूपये में मिलती है। (यहां अभी उत्पाद पेटेंट प्रणाली लागू नहीं है) इसी तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनी सीबा गाइगी, डाइक्लो फिनाक–वोवरान नामक दवाई की दस गोली

पाकिस्तान में 55.80 रूपये, इग्लैण्ड में 95.84 रूपये, अमेरिका में 239.47 रूपये और भारत में 5.96 रूपये में बेचती है। ग्लैक्सो तथा सीबा गाइगी भारत के विपरीत अन्य तीन देशों में दस गुना से चालीस गुना यानि 1000 से 4000 फीसदी ज्यादा कीमत वसूल रही हैं। भारत में इन कम्पनियों के अतिरिक्त और भी कई कम्पनियाँ इन दवाइयों को बनाती हैं और इस प्रकार कीमतों में मुकाबला (competition) होने के कारण इन दवाइयों की कीमतें बहुत कम हैं। अन्य तीनों देशों में केवल यही दो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इन दो दवाइयों को बेच रही हैं। नई प्रणाली के अर्न्तगत भारत की पेटेंट व्यवस्था भी अमेरिका, इंग्लैण्ड और पाकिस्तान जैसी हो जायेगी तथा एकाधिकार होने के कारण दवाइयों की कीमतें कई गुना (लगभग 1000 से 4000 फीसदी तक) बढ़ जायेंगी।

यह असर सिर्फ नई दवाइयों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान दवाइयों के कम्बीनेशनों, डोसेज रूपों पर भी होगा और उनके दाम भी उसी अनुपात में बढ़ जायेंगे।

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र (यानि बैंक, बीमा, परिवहन, दूरसंचार, मीडिया, विज्ञापन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) पहली बार शामिल किया गया है। पूर्व के गैट समझौते में ये विषय शामिल नहीं थे। सेवा समझौते का अनुच्छेद –2 कहता है "Services include any service in any sector except services supplied in the excercise of governmental authority" पैरा 3(c) और स्पष्ट करता है– "A service supplied in the exercise of governmental authority means any service which is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers" अर्थात् सरकारी प्रशासनिक कार्यों और सैनिक कार्यों को छोड़ सेवाओं के सभी क्षेत्र इस समझौते में शामिल कर लिये गये हैं। नगर महापालिकाओं द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, कल और सफाई व्यवस्था भी सेवाओं के समझौते में आ गयी है इसीलिये तो समझौता स्पष्ट कहता है – (अनुच्छेद –1 पैरा 3 (a)" measures taken by (i) Central, regional or local governments and authorities and (ii) non governmental bodies in the exercise of power delegated by central, regional or local governments or authorities"। इतना व्यापक है यह समझौता कि सरकरी प्रशासनिक और सैनिक कार्यों को छोड़ प्रत्येक सेवा के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को व्यापार की पूरी छूट देनी होगी। समझौते के अनुच्छेद –2 का पैरा 1 कहता है "with respect to any measure covered by this agreement, each member shall accord immediately and unconditionally to services and service suppliers of any other member, treatment no less favorable than that it accords to like services and service suppliers of any other country" यानि सबके साथ राष्ट्रीय व्यवहार करना होगा।

सेवा क्षेत्र इतना साफ क्यों बनाया गया है और उसे इतनी जल्दी विश्व व्यापर में क्यों जोड़ा गया है, उसे समझने के लिये यह जानना जरूरी है कि विकसित देशों के इसमें क्या हित हैं। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा हिस्सा है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों की 90 फीसदी आमदनी सेवा क्षेत्र से होती है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड और अमेरिका में दो–तिहाई से ज्यादा रोजगार सेवाओं के कारोबार से ही मिले हैं। सूचना क्रान्ति (सैटलाइट टी. वी.) ने सेवा क्षेत्र में बहुत इजाफा किया है। कृषि के प्राथमिक क्षेत्र और उद्योगों के द्वितीय क्षेत्र को संचालित और नियन्त्रित करने में सेवाओं के तीसरे क्षेत्र (अर्थ व्यवस्थाओं के तीन क्षेत्र माने जाते हैं।) की महत्वपूर्ण भूमिका है अर्थात यदि सेवाओं पर आपका कब्जा है तो कृषि और उद्योग स्वमेव आपके नियन्त्रण में आ जायेंगे।

सेवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा (बैंक और बीमा) और दूर–संचार (रेडियों, दूरदर्शन, टेलीफोन आदि) हैं। आज विकसित देशों के दस बड़े बैंकों के पास दुनिया की दो तिहाई पूंजी की मिल्कियत है। जापान के तीन बड़े बैंकों में प्रत्येक के पास भारत के सकल घरेलू उत्पाद के तीन गुना से ज्यादा पूंजी है। अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैण्ड के बैंकों की भी यही स्थिति है। ये बैंक विश्व राजनीति के माध्यम (जो पैसे के सहारे चलती है) और विश्व

व्यापर (जो राजनीति के माध्यम से चलता है) पर कब्जा जमाए हैं। इन बैंको के कारोबार में कोई नियम–कानून नहीं चलते, न ही ये किसी देश के नियम–कानूनों से बंधे हैं। अरबों–खरबों का निपटारा क्षण भर में कर देते हैं। दूर संचार, सूचना और विचार फैलाने का सबसे बड़ा तंत्र बन गया है। क्या सूचना देनी है और किस तरह के विचार फैलाने हैं दूर–संचार तंत्र पर कब्जा जमाये बैठे बड़े–बड़े पूंजी–पति (CNN, Star. T. V., BBC आदि) तय करते हैं। इनका सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है Homogenisation of culture, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को नष्ट कर 'सांस्कृतिक एकता' बनाना। देशी लोग क्या खाएं, क्या पीयें, कैसे रहें, कैसे उठें–बैठें, कैसे 'विकसित' हों और आधुनिक बनें, पश्चिमी जीवन शैली के अनुरूप ये प्रचार माध्यम यह सब हमें सिखाते हैं। और अब इन दोनों क्षेत्रों में हमने अपने देश को पूरी तरह विदेशी बैंकों के कब्जे में दे दिया है। और लोगों की दिनचर्या को विदेशी दूरसंचार कम्पनियाँ तय करेंगी।

सेवा समझौते के अनुच्छेद–16 के अनुसार सदस्य देशों की सेवा कम्पनियों या व्यक्तियों पर कोई भी प्रतिबन्धात्मक नियम–कानून लगाने से रोका गया है। हम इसका कितना फायदा उठा सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। नये–नये बाजार अवसरों का असली फायदा तो सेवा क्षेत्र में कार्यरत बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ही उठायेंगी जिनके पास आधुनिक, कम्प्यूटर युक्त स्वचालित तकनीकें हैं जो काम को तेजी से निपटा सकती हैं। हमारे देश में सरकार द्वारा संचालित सेवाओं (बैंकों, बीमा कम्पनियों, परिवहन, रेलवे, टेलीफोन, रेडियों और दूरदर्शन आदि) की हालत बहुत खस्ता है। यदि विदेशी सेवा कम्पनियों को छूट दे दी जाय तो ये प्रतिस्पर्धा में कहां तक टिक पायेंगी ? अतः मार्केट एक्सेस अवसरों का असली फायदा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ही मिलेगा।

संवैधानिक मसले

WTO से निम्न संवैधानिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी –

1) राष्ट्र के संचालन (Governance) पर मूलभूत प्रभाव होगा।
2) सम्प्रभु ताकत को इस्तेमाल करने की क्षमता नष्ट हो जायेगी।
3) खाद्यान्न में भारत की आत्म निर्भरता समाप्त होगी, और राज्यों का खाद्य, सुरक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार कम हो जायेगा।
4) बहुसंख्यक भारतीय किसानों की आजीविका का अधिकार प्रभावित होगा। यदि उच्च उत्पादन देनेवाले बीजों पर किसानों का अधिकार नहीं रहेगा तो खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
5) दवाओं के दामों में कई गुना वृद्धि होने से भारतीय लोगों का स्वास्थ्य का अधिकार प्रभावित होगा।
6) लोगों के जीने के अधिकार को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व सरकार को छोड़ना पड़ेगा जबकि संविधान के मुताबिक राज्य यह उत्तरदायित्व नहीं छोड़ सकता।
7) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और छोटे भारतीय उद्योगों की असमान प्रतियोगिता को बढ़ावा देना होगा, जबकि संवैधानिक जिम्मेदारी के अनुरूप असमान के साथ असमान व्यवहार करना चाहिये।
8) औद्योगिक विकास को उन तरीकों से रोका जायेगा जिनकी इजाजत संविधान नहीं देता है।
9) भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप नष्ट होगा।
10) अपने वैश्विक भविष्य के बारे में पूरी जानकारी के साथ चर्चा करने का लोगों का अधिकार समाप्त हो जायेगा।
11) कानूनों, जैसे 1970 का पेटेन्ट कानून, को जनता के हितों के विपरीत बनाना होगा।

विश्व व्यापार संगठन के दायरे को परिभाषित करते हुये अनुच्छेद –2 के पैरा –1 में कहा गया है "The WTO shall provide the common constiutional framework for the conduct of trade relations among the members in matters related to the agreements and associated legal instruments------" "यानि डब्ल्यू. टी. ओ. सदस्य देशों के बीच व्यापार के लिये समझौते से सम्बन्धित और जुड़े हुये कानूनी पहलुओं पर एक समान संस्थागत ढांचा बनाएगा"। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों के अर्न्तगत अनुच्छेद–3 के पैरा 5 में कहा गया है "With a view to acheiving greater coherence in global economic policy making, the WTO shall cooperate, as approsiate, with the international

Monetary fund (IMF)and with the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) and its affiliated agencies" यानि विश्व व्यापार संगठन भूमण्डलीय आर्थिक विकास की नीति तय करने के लिये आई. एम. एफ. और विश्व बैंक से सहयोग करेगा। अनुच्छेद 4 के पैरा 7 में कहा गया है कि "The ministerial conference (which shall carry out the functions of the WTO) shall establisha Committee on Trade and Development, a Committee on Balance-of-payments Restrictions and a Committe on Budget, Finance and Administration which shall carry out the functions assigned to them by this agreement....." यानि व्यापार और विकास समिति, भुगतान संतुलन के प्रतिबन्धों की समिति, और बजट, वित्त और प्रशासन समिति समझौते के अन्तर्गत दिये गये कार्यों को पूरा करेंगी। इन तीनों अनुच्छेदों की बातों से स्पष्ट हो जाता है कि WTO समझौते के बाद राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्थाओं और प्राथमिकताओं का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। आर्थिक विकास की भूमण्डलीय नीति विश्व व्यापार संगठन द्वारा विश्व बैंक और आई. एम. एफ. की मदद से बनायी जायेगी और उसकी प्राथमिकतायें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से अलग होंगी। सभी देशों के लिये एक समान कानून बनेंगे (जबकि सदस्य, देशों की अर्थव्यवस्थाओं और विश्व व्यापार में घोर असमानताएं हैं) और ये कानून राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर होंगे। सभी देशों को अपने कानून WTO के कानूनों के मुताबिक बनाने होंगे। इस सन्दर्भ में अनुच्छेद –16 का पैरा–4 स्पष्ट कहता है "Each member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligation as provided in the annexed agreements" यानि सभी सदस्य देशों के समझौते में दिये गये उत्तरदायित्वों के अनुरूप अपने कानून–नियम और प्रशासनिक क्रियाओं की अनुरूपता सुनिश्चित करनी होगी। इसी अनुच्छेद के पैरा 5 के मुताबिक "No reservation may be made in respect of any provisons of the agreement. Reservation may only be made in accordance with the provision set out in these agreement" अर्थात् समझौते के विपरीत कोई भी देश किसी भी प्रकार का बचाव (आरक्षण) नहीं कर सकता। समझौते के अनुच्छेद–9 का पैरा– 2 स्पष्ट करता है – "The Ministerial Conferrence and the General Council (to be constituted to carry out the function of the WTO shall have the exclusive authority to adopt interpretations of this agreement and of the Multifateral Trade Agreements" व्याख्या करने का अधिकार डब्ल्यू. टी. ओ. के तहत बनने वाली मिनिस्ट्रीयल कान्फ्रेंस और जनरल काउंसिल को होगा।

ऐसे में हमारी सम्प्रभु संसद की हैसियत क्या होगी ? रबर स्टैम्प की होगी, जो विश्व व्यापार संगठन के कानूनों पर मुहर लगायेगी और वहां बैठे सांसद क्लर्क का काम करेंगे क्योंकि अनुच्छेद –8 का पैरा 1 कहता है "The WTO shall have legal personality and shall be accorded by each of its members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its function" अर्थात् विश्व व्यापार संगठन की कानूनी हैसियत होगी और, पैरा –2 "The WTO shall be accorded by each of its members such privilages and in munities as are necessary for the excercise of its function" विश्व व्यापार

संगठन को राष्ट्रीय सरकारों द्वारा अपने कानूनों के ऊपर विशेषाधिकार तथा उनसे सुरक्षा दिलवानी होगी।

संसद की सम्प्रभुता तो समाप्त होगी ही, साथ में असली सम्प्रभु भारतीय जनता का भी इस समझौते में कोई दखल नहीं रह जायेगा। वहीं दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ताकत बढ़ जायेगी। विश्व व्यापार संगठन विचार विमर्श के लिये गैर सरकारी संगठनों को तो आमन्त्रित करता है परन्तु जनता को नहीं। और गैर सरकारी संस्थाओं में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ प्रमुख हैं। अनुच्छेद –4 का पैरा –2 कहता है – "The General council (to be constituted to carry out function of the WTO) may make appropriate arrangements for consultation and cooperation with non govermmental organisation concerned with matters related to those of the WTO" अर्थात् उन (बहुराष्ट्रीय कम्पनियों) जो विश्व व्यापार संगठन के मसलों से सबसे ज्यादा जुड़ी हैं से विचार विमर्श और सहयोग का बंदोबस्त किया जायेगा।

संविधान का मूल सिद्धान्त है कि बिना राज्यों की सहमति लिये उनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। इसके लिये संविधान में राज्य अधिकार क्षेत्रों की 'राज्य सूची' भी दी है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्य सभी में दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करवा कर ही केन्द्र 'राज्य सूची' के क्षेत्रों में कानून बना सकता है। संविधान के अनुच्छेद 252 के मुताबिक राज्यों की इजाजत लेकर ही केन्द्र सरकार उनके अधिकार क्षेत्रों से सम्बन्धित कानून बना सकती है।

लेकिन डब्ल्यू. टी. ओ. जैसे बहुआयामी अर्न्तराष्ट्रीय समझौते को करते समय सरकार ने राज्यों से पूछे बिना ही 'राज्य सूची' के क्षेत्रों के बारे में समझौता कर लिया है ओर कानून बनाने का अधिकार हासिल कर लिया है। राज्य सूची के ये क्षेत्र हैं, कृषि, कृषि पर सब्सिडी, गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना, सेवा जैसे शिक्षा स्वास्थ्य, सफाई आदि और उद्योग। इन सभी क्षेत्रों में डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते से राज्य के अधिकारों का हनन होगा। संविधान की राज्य सूची में निम्न विशेष मसले हैं जिन पर डब्ल्यू. टी. ओ. समझौता हुआ है।

सूची II आइटम 6–सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल आदि
14) कृषि और कृषि शोध, कीटों से सुरक्षा और पशुओं की बीमारियों से बचाव।
18) भूमि, भूमि का हस्तांतरण, कृषि ऋण
23) खदान का संचालन और खदान उत्पादों का दोहन
24) उद्योग
26) राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य
27) वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण
52) स्थानीय उपभोग के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर

लेकिन समझौता करते वक्त सरकार ने राज्य सरकारों और विधान सभाओं को विश्वास में नहीं लिया। कृषि सहायता (सब्सिडी), खाद्य आपूर्ति, दवा उपयोग, राज्यों ओर स्थानीय बाजारों में व्यापारिक वस्तुओं के प्रवेश पर पाबन्दी, मूल्य नियन्त्रण की समाप्ति, और विशेष उद्योगों में निवेश आदि पर समझौते का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही अपने नागरिकों को

शिक्षा और स्वास्थ्य तथा अन्य नागरिक सुविधाओं–जल, बिजली, सफाई, आदि देने के राज्य अधिकारों पर भी व्यापक प्रभाव होगा।

कुछ क्षेत्रों के बारे में तो समझौते में ही राज्य सरकारों और स्थानीय स्वायत्तशासी निकायों की सहमति लेने का सदस्य देशों से अनुरोध किया गया है। उदाहरण के लिए–

1– ट्रिप्स समझौते का अनुच्छेद –6 का पैरा 2 कहता है – Each member shall notify the WTO Secretariat of the publications in which TRIMS may be found, including those applied by regional and local governments and authorities within their territories प्रत्येक सदस्य देश को डब्ल्यू. टी. ओ. सेक्रेटेरियेट को ट्रिम्स से सम्बन्धित प्रकाशनों की जानकारी देनी होगी उसमें स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों द्वारा किये गये प्रकाशन हो सकते हैं। (प्रकाशन से यहां अर्थ नियम, कानूनों, गजट आदि के प्रकाशन से है जिससे पारदर्शिता बरकरार रहे।)

2– व्यापार की तकनीकी रूकावटों के बारे में हुए समझौते (Agreement on technical Barriers To Trade) का अनुच्छेद –7 "स्थानीय निकायों द्वारा अनुरूपता के निर्धारण का तरीका" (Procedures for Assessment of Conformity by Local Government Bodies) बतलाते हुये कहते हैं – "With respect to thier local government bodies within their territories, the members shall take such reasonable measures as may be available to them to ensure compliance by such bodies--"

व्यापार में आने वाली तकनीकी रूकावटों को दूर करने के लिये सदस्य देशों को अपने स्थानीय निकायों (राज्य सरकार, नगर महापालिकाएं, जिला परिषद आदि) के नियम कानून का अनुपालन (Compliance) करने के लिये जरूरी कदम उठाने होंगे।

3. सेवा समझौते का अनुच्छेद –1 का पैरा 3(a) सेवा समझौते के लिये उठाये गये कदमों (Measures) को परिभाषित करते हुये कहता है कि, For the Purpose of this agreement "measures by members" means measures taken by (i) central, regional or local governments and authorities (ii) non governmental bodies in the exercise of powers delegated by central, regional or local governments or authorities".

यानि केन्द्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों और निकायों यहां तक कि गैर सरकारी निकायों द्वारा उठाये गये कदम भी समझौते की परिभाषा में शामिल हो गये हैं।

हम समझौते से कभी भी अलग हो सकते हैं। डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते (Agreement of Establishment of the W.T.O.) का अनुच्छेद –15 अलग होने (withdrawal) की बात करता है। इसके अनुसार "Any member may withdraw from this agreement. Such withdrawal shall apply both to this agreement & the WTO agreement and shall take effect upon the expiration of six months from the date on which written notice of withdrawal is received by the Director General of

the WTO" अर्थात् "कोई भी देश समझौता से अलग हो सकता है डब्ल्यू. टी. ओ. के महानिदेशक को इस आशय की लिखित सूचना मिलने के 6 महीने बाद प्रभावी हो जायेगा"। देश में, यदि डब्ल्यू. टी. ओ. विरोधी सरकार बनती है तो वह समझौते से अलग होने का निर्णय उपरोक्त अनुच्छेद के अर्न्तगत ले सकती है।

समझौता विकास के वर्तमान माडल भूमण्डलीकरण की पश्चिमी अवधारणा को पूरी दुनिया पर थोपने का एक और प्रयास है। नंगा बाजारवाद और विकृत उपभोक्तावाद इस समझौते के निर्देशक सिद्धान्त हैं। 'इस्तेमाल करो और फेंको' (Use and Throw) की मूल्यहीन संस्कृति इसका कवच है। सामाजिक – आर्थिक असमानता इसको पुष्ट करती है और विस्थापन, बेरोजगारी, सांस्कृतिक पतन और मानवता का ह्रास इसका परिणाम है। राजनीतिक कूटनीतिक प्रभुत्व इसके हथियार हैं। प्रकृति के निर्मम अनियंत्रित दोहन पर यह सारा खेल टिका हुआ है। समझौते का विरोध वस्तुतः विकास की मान्यताओं को चुनौती है और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सहचर्य, सामाजिक आर्थिक समानता, स्वावलम्बन और रोजगार, सांस्कृतिक अस्मिता और राजनैतिक आजादी को बरकरार रखने के लिये नये विकास के विकल्प की खोज का प्रयास है। लड़ाई सिर्फ इस समझौते के ही खिलाफ नहीं है बल्कि पूरी मानव विरोधी व्यवस्था के खिलाफ है।

वैट का सच ?

अतुल म. देशमुख

1 अप्रैल 2005 से देश के 21 राज्यों में वैट कानून लागू है। वैट लागू होने के पूर्व से ही देश भर में इसके खिलाफ लगातार विरोध–प्रदर्शन जारी है, बावजूद इसके सरकार ने वैट लगाकर न केवल देश के उद्यमी और व्यापारी वर्ग बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र को अचम्भे में डाल दिया है। महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वैट लागू करने के पीछे उसका मकसद और मजबूरी क्या है? क्यों सरकार सारे विरोधों को नजर अंदाज करके वैट लगा रही है ? और न ही सरकार ने व्यापारियों–उद्यमियों से यह जानने की कोशिश की है कि वैट लागू होने से उन्हे क्या परेशानी है ? ना ही सरकार ने उनकी परेशानियों को दूर करने के संदर्भ में कोई ठोस प्रयास किये हैं। अलबत्ता सरकार की पूरी कोशिश वैट विरोधी आंदोलन को, 'साम–दाम–दंड–भेद' किसी भी नीति से दबा देने की है। जो कि पूरी तरह से सरकारी तानाशाही का सूचक है।

21 फरवरी 2005 को भारत बंद के साथ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान राष्ट्रव्यापी बंदी के कारण देश को हो रहे भारी आर्थिक नुकसानों, के बावजूद वैट लगाने के पीछे सरकारी जिद, उसकी मंशाओं के प्रति शक पैदा करती है। खास बात यह है कि यह विरोध केवल उन राज्यों में नहीं है जहाँ वैट लागू हुआ है बल्कि पूरे देश में है और उन राज्यों में कहीं ज्यादा है जहाँ राज्य सरकार ने किसी भी कारण से अब तक वैट लागू नहीं किया है। 1 अप्रैल को 21 राज्यों में वैट लागू हुआ। सरकार का मानना है कि देश के दो तिहाई राज्यों में वैट लग गया है और कुछ राज्य ही हैं जिन्होंने लागू नहीं किया है, वहाँ भी जल्दी ही लागू हो जायेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिन राज्यों में वैट लागू है उनका देश के आर्थिक ढाँचे में कितना योगदान है। इनमें से ज्यादातर राज्य अत्यंत छोटे हैं उदाहरण के लिए उत्तर–पूर्व के राज्य जो कि स्वयं ही सरकारी अनुदान पर जिंदा हैं। केवल दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब को छोड़ दिया जाय तो औद्योगिक दृष्टि से वैट लागू करने वाला कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसकी उपभोक्ता संख्या वैट न लागू करने वाले राज्य से अधिक है। और न ही ये राज्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आर्थिक ढाँचों में बहुत अधिक योगदान करते हैं। ऊपर से इन राज्यों की सरकारें वैट विरोधी आंदोलन के कारण बुरी तरह परेशान हैं। इसके विपरीत वैट लागू न करने वाले राज्यों के ढाँचे को देखें तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। जनसंख्या की दृष्टि ये राज्य तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड और उत्तरांचल– ऐसे हैं जिनकी कुल जनसंख्या देश के शेष राज्यों के आधे से ज्यादा है। इन राज्यों की कुल जनसंख्या लगभग 64 करोड़ है। इसका मतलब है कि देश की आधे से ज्यादा आबादी वैट

के माध्यम से राष्ट्र को कोई योगदान नहीं दे रही। इनमें गुजरात राज्य के नागरिकों की उपभोग व क्रय शक्ति देश के अन्य राज्यों (केरल छोड़कर) से कहीं ज्यादा है। उत्तरप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय भले ही कम हो लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि वे बाकी राज्यों के लगभग बराबर ही देश के आर्थिक ढाँचे में योगदान करते हैं। झारखण्ड और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्ये हैं जिनकी प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता पर अन्य सभी राज्यों का द्वेश रखना स्वाभाविक है। इसका सीधा मतलब यह हैं कि ये वो राज्य हैं जो हैसियत वाले है और जिनके सहयोग के बिना देश में 'वैट' क्या, किसी भी तरह का कोई कानून प्रभावी होना न केवल नामुमकिन है बल्कि असंभव है। बावजूद इसके केंद्र सरकार की जिद और उसकी धमकियाँ किसी विदेशी साजिश का हिस्सा नजर आती हैं।

सरकारी तर्क

पिछले वर्ष भी तत्कालीन सरकार ने वैट लागू करने का प्रयास किया था। लेकिन व्यापारी समूहों के उद्वेग को देखते हुए उन्हे यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। लेकिन तब हमारे जैसे लोगों का मानना था कि यह प्रयास एक दिखावा मात्र है। जिसके माध्यम से यह जानने की कोशिश की गयी कि वस्तुतः वैट का विरोध किन राज्यों में ज्यादा मुखर हो सकता है। और दूसरा यह कि विरोध की स्थिति में सरकारी रणनीति क्या हो सकती है। दरअसल वैट 2005–06 के वित्तीय वर्ष में ही लागू होना था– क्यों ? इस प्रश्न का समाधान आगे स्वतः ही पाठकों को मिल जाएगा। जो कि अब लागू हो चुका है। और सरकार पूर्व निर्धारित रणनीति के आधार पर ही वैट लागू कर रही है।

वैट लागू करने के अपने उद्देश्यों का प्रचार–प्रसार सरकार संचार माध्यमों (टी. वी., समाचार पत्र, रेडियो आदि) के जरिए बखूबी कर रही है। सरकारी प्रचार का कुल लब्बो–लुबाब यह है कि वैट से अच्छा राष्ट्र के लिए कोई टैक्स कानून नहीं। सरकारी प्रचार अभियान का सबसे ज्यादा जोर यह बताने में है कि 'वैट' आने से मंहगाई नहीं बढ़ेगी, व्यापार में पारदर्शिता (Transperency) रहेगी सरकार के कर की वसूली ज्यादा होगी तथा देश का वित्तीय घाटा कम होगा। सरकारी घोषणा है कि वैट के साथ अन्य दूसरे टैक्स मसलन टर्नओवर, सरचार्ज, अतिरिक्त सरचार्ज, ऑक्ट्राय, प्रवेश कर, व्यवसाय कर, बिक्रीकर आदि समाप्त होंगे। क्या सरकार के ये दावे सच हैं या केवल झुनझुना ? इस प्रश्न का जवाब भी हमें स्वतः मिलेगा। यहाँ वैसे यह बताने की जरूरत है कि जब सरकार व्यापार में पारदर्शिता (Transperency) की बात करती है तो उसका इरादा जनता को यह बताने का है कि देश का व्यापारी समाज चोर और बेईमान है। वह टैक्स की चोरी कर देश को नुकसान पहुँचा रहा है। अब तक के टैक्स कानून इस चोरी और बेईमानी पर अंकुश लगाने में नाकाम हैं। वैट के द्वारा इन पर अंकुश लगेगा, चोरी रूकेगी और देश की कर वसूली से होने वाली आय बढ़ेगी। यही कारण है कि सरकार इस बात को बार–बार दुहराती है कि देश का वित्तीय घाटा कम होगा। सरकार इस बात को प्रचारित कर अपने इस मकसद में कामयाब रही है कि जनता की नजर में व्यापारी समूहों की छवि धूमिल की जाए और इस आंदोलन से जनता को अलग रखा जाए।

भारत में वैट क्यों ?

यह एक जटिल प्रश्न है। इस प्रश्न के जवाब के साथ ही पाठकों को पूर्व प्रश्न वित्तीय वर्ष 2005–06 में ही वैट क्यों लागू हुआ, इसका जवाब भी मिल जाएगा। पुस्तक के प्रथम पाठ के माध्यम से आप सबको विश्व व्यापार संगठन (W.T.O) समझौते के विषय में जानकारी मिल गयी होगी। भारत ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता स्वीकार की है। इसका अर्थ है कि भारत को दुनिया में अब, अपना व्यापार विश्व व्यापार संगठन के कायदों के हिसाब से करना होगा। विश्व व्यापार संगठन समझौते में (Homogeneous Tax Structure) समान कर ढाँचे की बात कही गयी है। अर्थात विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों के 'कर–कानून' एक जैसे हों जिससे कि वैश्विक व्यापार में कीमतों (मूल्य) के स्तर पर किसी तरह का कोई भेदभाव न हो। देखने में यह 'कर–कानून' काफी सुन्दर और मानवतावादी–समानतावादी लगता है। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है, और वह यह कि मशीनों द्वारा निर्मित और मनुष्यों द्वारा निर्मित वस्तुओं के दाम एक जैसे हो जाएंगे। जबकि दोनों प्रकारों से निर्मित वस्तुओं की लागत कीमत और उनका उद्देश्य भिन्न है। यंत्रों से निर्माण का उद्देश्य बाजारपूर्ति है और मनुष्य द्वारा निर्माण का उद्देश्य रोजगार पूर्ति है। यूरोपीय देशों में जनसंख्या कम है इसलिए वहाँ की बड़ी–बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अधिकतम उत्पादन यंत्रों द्वारा करती हैं। जबकि भारत जैसे जनसंख्या बाहुल एशियाई के अफ्रिकी देशों में लोगों के रोजगार को ध्यान में रखकर अधिकतम उत्पादन मनुष्यों द्वारा होता है।

विश्व व्यापार संगठन में इस समय 126 देश सदस्य हैं। जिसमें से 123 देशों ने अपने यहाँ 'वैट' कानून को मान्यता दी है। इनमें से अधिकांश देश वो हैं जिनमें यंत्रों द्वारा निर्माण होता है। जबकि 'वैट' लागू करने वाले शेष देशों ने यूरोपीय–अमरीकी दबाव में 'वैट' लागू किया है। लेकिन खास बात यह है कि दुनियाभर में विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से दादागिरी करने वाले अमरिका ने खुद अपने यहाँ 'वैट' लागू नहीं किया है। भारत वैट लागू करने वाला 124 वाँ देश है। यूरोपीय देशों ने ही अपनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुँचाने के लिए भारत पर लगातार 'वैट' लागू करने का दबाव बनाया। इसका अंदाजा हमको इस बात से लग जाएगा कि पूर्व में भारत सरकार हमेशा यह वादा करती रही कि यदि किसी एक राज्य ने भी 'वैट' लागू नहीं किया तो 'वैट' लागू नहीं होगा। लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि हर–हाल में उसे। 1 अप्रैल से वैट लागू करना पड़ा चाहे 21 राज्यों में ही सही, भारी विरोध के बावजूद। दबाव कितना जबरदस्त था इसको समझने के लिए यह तथ्य काफी है– 14–15 मार्च 2005 को इटली में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधी को बड़े ही कड़े शब्दों में 1 अप्रैल से 'वैट' लागू करने को कहा गया।

वैट क्या है ?

वैट (VAT) का पूरा नाम, मूल्य वर्धित कर प्रणाली है। यूरोपीय देश फ्रांस में लगभग 1893 ई. के आस–पास यह 'कर–प्रणाली' पहली बार अस्तित्व में आई। जिसे यूरोपीय देशों ने अपने यहाँ धीरे–धीरे लागू किया। इस कर–प्रणाली (Tax System) के तहत किसी भी वस्तु की बिक्री पर, नियत दर से, वस्तु की जितनी बार बिक्री होती है उतनी बार उस पर कर

(Tax) लगाया जाता है। यह एक स्थान पर लगनेवाला (Singal Point tax) कर नहीं है। यह अनेक स्थानों पर(Multi Point Tax) लगने वाला कर है। इसीलिए वस्तु के मूल्य में बार–बार वृद्धि होती है। और उत्पादक से अंतिम ग्राहक तक वस्तु के पहुँचने पर वस्तु के मूल्य में भारी वृद्धि हो जाती है। यह कर वस्तु के अधिकतम बिक्री कीमत (MRP) पर लगता है न कि विक्रेता के लाभ पर। इसको हम इस उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं।

मान लिया कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी जिसका अधिकतम बिक्री मूल्य 100/- रूपया है। अब यदि उस वस्तु पर 'वैट' दर 4% है तो उस व्यक्ति को उस वस्तु की कीमत 104/- रूपये अदा करनी पड़ेगी। अर्थात् टैक्स लगभग 4 रू.। अब इस वस्तु को पुनः बिक्री किया गया 150/- रू. में तो 4% की दर से वैट 6/- रू. अब इस वस्तु के खरीददार को कीमत देनी पड़ेगी 156/- रू. द्वितीय विक्रेता (जिसने 156/- रू. में बेचा) को पूर्व में की गयी खरीदी (जिस पर 4/- रू. वैट अदा किया गया था) पर दिया गया वैट (4 रू.) इस बिक्री में लिये गये वैट (6 रू.) में से वापस मिल जायेगा। अतः कुल वैट लगा 2/- रू. जो कि बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य का अन्तर है। लेकिन इस वैट की कीमत उपभोक्ता को महंगाई के रूप में चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वह अंतिम खरीददार है।

लेकिन इस प्रणाली में दुकानदारों को बड़े पैमाने पर हिसाब–किताब का ब्यौरा रखना पड़ेगा तथा अपनी वैट अदायगी की पुर्नवापसी के लिए सामान की बिक्री का इंतजार करना पड़ेगा।

इसको हम एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। माना किसी व्यक्ति ने एक महीने में एक लाख (1,00,000.00) की खरीदी की। उसकी इस खरीदी पर यदि 4% की दर से वैट है तो उसे (4000/-रू.) चार हजार रूपये वैट के रूप में देने होंगे। उसने महीने में दो लाख (2,00,000.00) रूपये में बिक्री किया तो उसे (20,000/-रू.) बीस हजार रूपये वैट के रूप में मिलेगा। जिसमें से चार हजार रूपये उसका पूर्व में किया गया वैट भुगतान है अर्थात् उसने वैट के रूप में (16,000/-रू.) सोलह हजार रूपये अदा किया।

अर्थात् (20,000–4000) = वैट (16,000/-रू.)

भारत में वैट ढाँचा

(VAT Structure in India)

भारत में दो तरह से वैट लगेगा, एक केन्द्रीय (Central) दूसरा राज्य (State) कर। केन्द्रीय वैट दो प्रकार का होगा –

1) Tax on goods - Excise duty (उत्पादकर)
2) Tax on Services - Service tax (सेवाकर)

राज्य वैट भी दो प्रकार का होगा –

1) Vat at the Place of Sals tax (बिक्रीकर के स्थान पर वैट)
2) Service tax (सेवाकर)

वैट लगने से पूर्व राज्य में केवल बिक्री कर था जो केवल एक स्थान पर (Single Point) था। उसके साथ सेवा कर नहीं थे, अब वैट के साथ सेवाकर भी लगने वाला है।

सरकार की योजना है कि कुछ वर्ष बाद केन्द्रीय और राज्य वैट को मिलाकर नया कर–कानून बनाया जायेगा। जिसका नाम होगा Goods and Service Tax (GST)।

कितनी वस्तुओं पर और कितना लगेगा वैट

महाराष्ट्र राज्य के (जहाँ अभी वैट लागू है) वैट अधिनियम (VAT Act) की धारा 6 के अनुसार लगभग 50 वस्तुओं पर 0% वैट अर्थात् ये वस्तुएं वैट मुक्त। 3 वस्तुओं पर 1% (ज्वेलरी, स्टोन आदि), 106 वस्तुओं पर 4%, 10 वस्तुओं पर 20% से 34% (पेट्रोलियम उत्पाद व शराब) तथा शेष सभी वस्तुओं पर 12.5% (जो वस्तुएं ऊपर नहीं हैं) उक्त अधिनियम में करीब 600 वस्तुओं की सूची है। सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में और 2200 वस्तुओं को वैट के दायरे में लाया जाय। तब कुल 2,000 वस्तुएं वैट के दायरे में होगी। इन 2,800 वस्तुओं में से लगभग 2600 वस्तुओं पर 12.5% की दर से वैट लगेगा।

वैट के दायरे में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान देंगे तो सरकार की मूर्खता पर आश्चर्य किए बिना हम नहीं रह पाएंगे। वैट से पूर्व केवल सील बंद (Packed) मसालों पर ही टैक्स लगता था लेकिन अब सभी खुले मसालों पर भी वैट लगेगा। मिट्टी की खरीद–बिक्री पर सरकार ने 4% वैट लगाया है (Entry -C-21) लेकिन यदि कोई कुम्हार मिट्टी खरीद कर उससे दीपक (दिया) बनाए तो वह वैट मुक्त है (Entry -A-15)। इसका अर्थ है कि कोई कुम्हार जब मिट्टी खरीदेगा तो 4% वैट देगा लेकिन जब वह मिट्टी से दीपक बनाकर बेचेगा तो अपने दिये गये वैट की वापसी नहीं ले पायेगा क्योंकि दीपक वैट मुक्त है। सरकार कहेगी हम देश की मिट्टी बचाकर, देश का पर्यावरण बचा रहे हैं। है कोई जवाब आपके पास! पूर्व में नारियल पर कोई टैक्स नहीं था। लेकिन अब 4% वैट है।

खादी एवं ग्रामोद्योग, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए खादी पर कभी किसी सरकार ने कोई कर (Tax) नहीं लगाया। अब खादी के सिले–सिलाये (Readymade) वस्त्रों पर वैट है। अर्थात् **देश का तिरंगा झंडा वैट के दायरे में है।** अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह मील का पत्थर साबित हुआ और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाये गये कर के खिलाफ गांधीजी ने दांडी यात्रा कर, नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों को चुनौती दी थी। और अब दांडी यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने पर, गांधी का अनुयायी कहने वाली **सरकार ने वैट के माध्यम से नमक पर 4% कर (Tax) (Entry-C-78)लगाकर देश को नायाब तोहफा दिया है।** गर्व है हमें इन तथाकथित और सरकारी गांधीवादियों पर जो दांडीयात्रा कर गांधी की आत्मा को शांति प्रदान कर रहे हैं।

कौन भरेगा वैट

ऐसे सभी उत्पादक या विक्रेता जिनका वार्षिक खरेदी–बिक्री 5 लाख होगी वो वैट अदा करेंगे। ऐसे विक्रेता जो दूसरे राज्यों से खरीद कर बिक्री करते हैं ओर उनकी वार्षिक खरेदी–बिक्री एक लाख ही है तो उन्हे भी वैट अदा करना पड़ेगा। ऐसे उत्पादक या विक्रेता जिनकी वार्षिक खरेदी–बिक्री उपरोक्त एक लाख या पाँच लाख से कम होगी वे भी स्वयंस्फूर्त (Voluntary) पंजिकरण करा सकते हैं। लेकिन एक लाख से कम खरेदी–बिक्री वाला उत्पादक या विक्रेता पंजिकरण कराना चाहेगा तो उसे आयकर विभाग (Income Tax) से

पैन संख्या (PAN - Permanent Account Number) लेना अनिवार्य होगा। अर्थात् ऐसे सभी उत्पादकों व विक्रेताओं को वैट के साथ आयकर विभाग की भी मार झेलनी पड़ेगी। स्वमंस्फूर्त वैट संख्या लेने के लिए परिचय आवश्यक है, जो कि पहले नहीं था। इसका मतलब यह कि वैट संख्या केवल उसी उत्पादक या विक्रेता को मिल पायेगा जो किसी पंजीकृत विक्रेता या कर सलाहकार (Tax Consultant) को गवाह के रूप में प्रस्तुत करेगा। इस नियम का सीधा अर्थ है कि यदि कर दाता ने कर अदा नहीं किया तो गवाह को करनी पड़ेगी उसकी भरपाई (?)। पर्दे के पीछे से यह कानून स्वतः कहता है कि हम मूर्ख बना रहे हैं, एक तरफ तो हम सुविधाएं दे रहे हैं ओर दूसरी और लोगों को सुविधा का लाभ मिले ही नहीं इसकी पूरी व्यवस्था भी है क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कोई किसी का गवाहदार क्यों बनेगा।

इस कानून के अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि वैट का पंजिकरण कराने के साथ ही सरकारी भ्रष्टाचार का चक्कर शुरू हो जायेगा चाहे भले उत्पादक या विक्रेता एक लाख या पाँच लाख दायरे में न आते हों।

Set-Off (रकम वापसी)

पहले बताया जा चुका है कि किस तरह कोई विक्रेता पूर्व में अदा किये गये वैट की रकम वापस पा सकता है। किसी, विक्रेता द्वारा बिक्री के पश्चात प्राप्त वैट में ही उसके द्वारा किये गये वैट भुगतान की रकम शामिल रहती है। यही Set-Off (रकम वापसी) है। अर्थात् किसी विक्रेता के द्वारा अदा किये गये कर की वापसी उसके द्वारा परिश्रम पूर्वक की गयी बिक्री पर निर्भर है। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होगा।

इसके विपरीत रकम वापसी के मामले में सरकार के कुछ जटिल नियम हैं। मसलन– किसी राज्य से खरीदी कर दूसरे राज्य में बिक्री पर रकम की पूर्ण वापसी नहीं होगी अर्थात् पूर्ण Set-Off नहीं मिलेगा। इसी तरह किसी ऐसी चल सम्पत्ति (Fixed Assets)की खरीदी जिसका उपयोग सीधा–सीधा उत्पादन में होगा तो उसपर Set- Off का लाभ मिलेगा पर ऐसी चल सम्पत्ति– जिसका उपयोग सीधे उत्पादन में न हो लेकिन उससे उत्पादन क्षमता बढ़ती हो, की खरीदी पर Set-Off का लाभ नहीं मिलेगा। जो विक्रेता बिल (Tax Invoice) नहीं देगा या गलत बिल देगा तो अगले विक्रेता को Set-Off का लाभ नहीं मिलेगा।एक ही राज्य में माल हस्तांतरण (Stock Transfer) यदि किया हो तो वैट नहीं लगेगा।

इसके अलावा सीमा शुल्क (Custom Duty) केंद्रीय बिक्रीकर (CST) चुंगी नाका (Octroi) उत्पादकर (Excise Duty) व सेवाकर (Service Tax) या दूसरे राज्यों में वैट अदा करने पर (यदि सी–फार्म नहीं दिया है तो) Set-Off का लाभ नहीं मिलेगा।

(Composition Scheme)

कह सकते हैं कि व्यापारियों को अपने जाल में फंसाने की सरकार की यह विचित्र योजना है। जिसमें व्यापारी को अपना लाभ भी दिखेगा और सरकार को कोई नुकसान भी नहीं होगा। भारत सरकार द्वारा वैट के संदर्भ में पहले कहा गया था कि यदि कोई व्यापारी वैट के कम्पोजिशन स्कीम में जाना (का लाभ लेना) चाहता है तो उसे किसी तरह का कोई रिकार्ड (खाता) रखने की जरूरत नहीं।(इस पुस्तक के छपने तक सरकार ने ऐसा कहना बंद कर दिया था और इसे कानून में भी कहीं लिखवाया नहीं गया)

इस योजना के तहत व्यापारी के व्यापार से कोई मतलब नहीं। उसको व्यापार में हुए मुनाफे (Sale-Purchase) पर सीधा 8% वैट लगेगा।

लेकिन आयकर की धारा 44 A के अनुसार जिनकी वार्षिक खरेदी–बिक्री 10 लाख के ऊपर है या जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख से ऊपर है उनको बहि–खाता रखना अनिवार्य है। इसका मतलब आयकर और वैट के ये नियम एक–दूसरे के विरोधी हैं। अर्थात् सरकार इस योजना के द्वारा व्यापारियों को बेवकूफ बना रही है साथ ही उपरोक्त 8% वैट के संदर्भ में भी घोषणाएं स्पष्ट नहीं हैं। बजट 2005–06 में यह दर बिक्री पर 1% था जो कि समाचारों में 0.25% हो गया और 8 अप्रैल 2005 को हुए संशोधन में यह 8% हो गया। इसलिए सरकारी घोषणाएं विश्वास से परे हैं। इस योजना की खास बात यह है कि यह सिर्फ उनके लिए है जिनकी वार्षिक खरेदी–बिक्री 50 लाख है और जिनके वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ताओं को होगी अर्थात् वस्तु की बिक्री सिर्फ एक बार होनी है। एक ही राज्य में माल हस्तांतरण (Stock Transfer) यदि किया हो तो वैट नहीं लगेगा। यह योजना अत्यंत खतरनाक है। इस योजना के कारण व्यापार कर्म में लगा उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का पूरा वर्ग समाप्त हो जाएगा। इस योजना का सीधा लाभ बड़ी–बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मिलेगा जो अब गाँव–गाँव में अपने उपभोक्ता केंद्र खोल रही हैं। ये कम्पनियाँ अपने उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता केंद्र तक माल भेजकर सीधा मुनाफा कमाएंगी और सिर्फ एक स्थान पर वैट अदा करेंगी। यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ और सरकार वैट की न केवल वकालत कर रही हैं बल्कि समाचारों में विज्ञापन देकर जनता को भ्रमित कर रही हैं। इस योजना की दूसरी विशेषता यह है कि इस योजना में शामिल विक्रेता को पूर्व में दिये गये वैट की वापसी नहीं होगी।

कोई उत्पादक, आयातक, वितरक, होलसेलर और शराब बनाने और बेचने वाला इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। क्या यह योजना महज एक सरकारी झुनझुना नहीं है?

ट्रक चालक खतरे में

वैट लागू होने के बाद ट्रक चालकों की जिंदगी खतरे में पड़ गयी है। आप यदि कोई ट्रक चलाते हैं और सामान लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो आप पूरी सावधानी बरतें। आप की छोटी सी भूल आपको जेल की हवा खिला सकती है (?)। आपने जिस राज्य से सामान लिया है वहाँ वैट लगा है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं, जहाँ सामान पहुँचाने जा रहे हैं वहाँ यदि वैट लगा है तो आपको कागजी कार्रवाई पूरी करनी ही पड़ेगी वरना जेल हो जाएगी।

प्रत्येक राज्य के चेक–पोस्टों पर आपके माल के साथ कागजों की जाँच पड़ताल होगी और कमी पाये जाने पर अधिकारी को यह अधिकार है कि वह माल जब्त करने के साथ–साथ आपको जेल भी भिजवा सकता है। बचने का उपाय है सब कागज साथ में रखें या दण्ड भुगतें या **फिर घूस दें**। यहाँ पर भ्रष्टाचार का महासागर खोल दिया गया है।

एक ट्रक चालक को अपने साथ कम से कम निम्नलिखित कागज रखने पड़ेंगे। लेकिन कितनी प्रतियाँ यह उसे मालूम नहीं, क्योंकि किस राज्य में कितने चेक–पोस्ट हैं इसकी जानकारी उनको नहीं होगी। और प्रत्येक चेक पोस्ट पर प्रत्येक कागज की कम से कम एक प्रति देना अनिवार्य है।

एक चालक को निम्नलिखित कागज रखना जरूरी है :–

1) Tax Invoice (बिल)
2) Delivery Memo (सुपुर्दगी रशीद)
3) Lorry Receipts (गाड़ी कागज)
4) C-Form की प्रति (यदि लागू है तो)
5) प्रत्येक चेक पोस्ट पर मुहर लगवानी होगी
6) सबसे ज्यादा अनिवार्य है (Transit Pass) (ट्रांजिट पास)

ट्रांजिट पास का मतलब है कि प्रत्येक चालक को किसी राज्य में प्रवेश से पूर्व उसे बताना होगा कि वह इस राज्य में कब तक रहेगा और कब छोड़ देगा। उदाहरण के लिए एक ट्रक चालक माल लेकर गोवा से गुजरात जा रहा है तो उसे महाराष्ट्र से होकर गुजरना पड़ेगा। गुजरात में अभी वैट नहीं हैं वहाँ इन कागजों की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन महाराष्ट्र में वैट है इसलिए उसे महाराष्ट्र में इन कागजों की जरूरत पड़ेगी। ट्रक चालक को महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले यह बताना होगा कि वह महाराष्ट्र में कितने दिन रहेगा और कितने दिनों में महाराष्ट्र की सीमा छोड़कर गुजरात में प्रवेश कर जाएगा। यदि ट्रक चालक किसी कारणवश नियत दिनों में महाराष्ट्र नहीं छोड़ता और वह कहीं पकड़ा जाएगा तो उसपर माल बेचने का आरोप लगेगा और माल की बिक्री पर उसे वैट अदा करना पड़ेगा और साथ में दण्ड भी देना पड़ेगा। (इन्हीं कारणों से नागपुर स्थित बैद्यनाथ कम्पनी की चार गाड़ियाँ नागपुर से चलकर आंध्रप्रदेश की सीमा पर सील की गई थी।)

और क्या–क्या है वैट अधिनियम में

वैट अधिनियम में वैट आयुक्त को दिए गए अधिकार उसको निरंकुश बना सकते हैं। वैट आयुक्त को मजिस्ट्रेट के समान अधिकार देकर उसे अधिनियम के पालन का सर्वेसर्वा बना दिया गया है। कह सकते हैं कि सम्पूर्ण वैट कानून आयुक्त (कमिश्नर) के हाथों की कठपुतली है वह जैसे चाहे इसका प्रयोग कर सकता है।

– ऐसे विक्रेता जिनके पास स्थानीय सेलटैक्स नंबर है उन्हें वैट नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैट अधिनियम की धारा–17 में कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी को भी नया नंबर लेने को कह सकता है।

– ऐसे विक्रेता जिनका वर्षिक आय–व्यय 40 लाख रूपये या उससे ऊपर है तो उन्हें अपने आय–व्यय का हिसाब चार्टर्ड एकाउण्टेंट से कराना अनिवार्य होगा। लेकिन वैट की धारा–61 के अनुसार कमिश्नर, सी. ए. के ऑडिट के बाद भी पुनः ऑडिट का आदेश दे सकता है। जैसे :–

1 यदि विक्रेता ने मासिक, त्रैमासिक, छःमाही या वार्षिक विवरण (Return File) नहीं जमा किया तो, मासिक विवरण में यदि Refund Claim किया है तो भी कमिश्नर पुनः ऑडिट का आदेश दे सकता है।

2 यदि किसी ने आपके खिलाफ कमिश्नर को शिकायत किया है तो वह आपके बहि–खातों के पुनः ऑडिट का आदेश दे सकता है।

3 सबकुछ ठीक है लेकिन यदि कमिश्नर संतुष्ट नहीं है या उसकी इच्छा है तो वह पुनः ऑडिट करा सकता है।

4 दारूवालों का दो बार ऑडिट होना अनिवार्य है।

टैक्स इंवायस (Bill) बनाना अनिवार्य है नहीं तो दंड के भागीदार होंगे। और बिल पर हस्ताक्षर करने वालों को यह दंड दिया जा सकता है। यदि किसी विक्रेता को ऐसा आभास होता है कि, उसके द्वारा दिये गये विवरण में कोई कमी या गलती है और वह स्वयं ही उस कमी या गलती में सुधार करना चाहे तो उस पर दंड लगेगा। यह दंड राशि कम से कम 1,000 या 2,000 हो सकती है।

– वैट की धारा–61 के अनुसार किसी भी विक्रेता को अपने बहि–खातों का ऑडिट नहीं करवाने पर एक लाख रूपये तक का दंड हो सकता है।

– वैट की धारा–9 के अनुसार ब्युरोक्रसी/आयुक्त (कमिश्नर) के अधिकार बढ़ाने के लिये संसद में बहस की आवश्यकता नहीं है। अर्थात् वैट अधिनियम में स्वतः ही वैट आयुक्त के अधिकारों में वृद्धि का प्रावधान है। वैट आयुक्त अपने इस अधिकार का प्रयोग करके दो वर्ष में एक बार वैट की दर बढ़ा सकता है।

– वैट की धारा– 22 (3), 22 (5) और 64 (4) के अनुसार वैट अधिकारी कभी भी जाँच के लिये जा सकता है। चाहे भले ही वह व्यवसाय का सबसे व्यस्त समय क्यों न हो।

– वैट की धारा–15 के अनुसार किसी भी अधिकारी के उपर (उसके द्वारा किए गए निराक्षण के खिलाफ), चाहे वह अच्छी भावना से किया गया हो या बुरी भावना से, किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।

– निर्यात पर किसी तरह का कोई वैट नहीं लगा है लेकिन निर्यात से पूर्व दिया गया वैट वापस मिलेगा।

वैट से भरेगा सरकारी खजाना

सरकार बार–बार कहती है कि वैट कानून से किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा। लेकिन किसी का नुकसान होगा तो इसकी भरपाई की जायेगी। वैट से होने वाली आय के संदर्भ में हम ध्यान दें तो पता चलता है की एक अकेले इस कर–कानून के कारण राज्यों को हजारों करोड़ रूपये का फायदा होनेवाला है यही कारण है कि वो किसी न किसी तरीके से दबाव बनाकर वैट लागू कर रहे हैं। एक उदाहरण से इसको समझा जा सकता है।

महाराष्ट्र सरकार के इस वर्ष (2005–06) के बजट में बताया गया है कि सरकार को 50429.82 करोड़ रूपये का कुल राजस्व प्राप्त होगा (इस राजस्व में अधिकतम अनुपात वैट से प्राप्त होने वाले राजस्व का है।)। जबकि इसमें से 50163.96 करोड़ रूपये राज्य के विकास (?) में खर्च हो जायेंगे। अर्थात् महाराष्ट्र सरकार को 265.66 करोड़ का फायदा होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष (2004–05) में महाराष्ट्र सरकार ने 7303.35 करोड़ का घाटा दिखाया था। इस वर्ष वैट के कारण न केवल यह घाटा पूरा होगा बल्कि की सरकार को लगभग 265 करोड़ का मुनाफा भी होगा।

वैट की असफलता

विदेशी दबाव में सरकार ने देश के 21 राज्यों में वैट कानून लागू कर दिया है। लेकिन इससे होने वाली परेशानियों या उसकी सफलता–असफलता के विषय में कोई विचार नहीं

किया है। अपनी जटिलता के कारण ही 1995–98 के वर्ष में महाराष्ट्र में लगा वैट कानून फेल हो गया और इसे वापस लेना पड़ा। लेकिन अब पुनः बिना उस असफलता का कारण जाने 21 राज्यों में वैट लगा दिया गया है। हरियाणा की पूर्ववर्ति सरकार ने भी वैट लगाया था और उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। वैट अधिनियम में अबतक 147 संशोधन हो चुके हैं जबकि यह अधिनियम अभी–अभी बनाया है।

यूरोपीय और भारतीय वैट कानून में अन्तर

भारत सरकार के वित्तमंत्री देश को गुमराह करते हुए बार–बार इस बात की दुहाई देते हैं कि, दुनिया के 123 देशों में वैट कानून सफलता (?) पूर्वक चल रहा है। इसलिये भारत में भी इसे लगाया जाना चाहिए और यह सफल होगा। लेकिन वित्तमंत्रीजी कभी भी यह नहीं बताते कि उन 123 देशों में या यूरोपीय देशों में लागू वैट कानून का ढाँचा कैसा है। और वह भारतीय वैट कानून ढाँचे से किस तरह भिन्न है। लेकिन हम आपको यहाँ यूरोपीय वैट कानून के ढाँचे के विषय में कुछ मूल बातें अवश्य बतायेंगे जिसको जानने के बाद आप न केवल आश्चर्य करेंगे बल्कि सरकार की मूर्खता और उसकी मजबूरी पर अपना सिर भी पीटेंगे।

यूरोप में वैट कानून के साथ कोई भी अप्रत्यक्ष (Indirect) कर नहीं लगाया जाता। कई देशों में केवल तीन प्रकार के कर होते हैं, पहला आयकर (Income Tax) दूसरा वैट तथा तीसरा सीमा शुल्क (Custom Duty)। कुछ देशों में तो आयकर भी नहीं लगता है। वहाँ वैट के साथ न तो उत्पाद कर लगता है, न ऑक्ट्रॉय लगता है, न ही सेलटैक्स (केंद्रीय या राज्य कोई भी नहीं) न ही रोड़ टैक्स, न टोलटैक्स, न कार्पोरेशन टैक्स और न ही म्युनिसिपल टैक्स, न तो सरचार्ज या कोई भी प्रत्यक्ष कर। इसके अलावा यूरोपीय वैट अधिनियम में वैट आयुक्त को किसी तरह का कोई अधिकार (Powers/ Rights) नहीं दिया गया है। उसे केवल कुछ दायित्व (Duties) दिये गये हैं। जैसे– यदि किसी विक्रेता ने वैट अदा किया और गलती से उसने वैट ज्यादा अदा कर दिया तो आयुक्त का यह दायित्व है कि वह दी गयी अधिक राशि विक्रेता को वापस करे और वह ऐसा करता है। इसके अलावा उसे किसी को दंड देने का भी कोई अधिकार नहीं है। भारत के वैट आयुक्त की तरह उसे किसी भी तरह की पगार भी नहीं दी जाती। आयुक्त के द्वारा एकत्र की गयी वैट राशि में से ही उसे कुछ हिस्सा दिया जाता है।

यूरोपीय वैट कानूनों में वस्तुओं पर लगाये गये वैट की दर भी अधिकतम 12 से 16 प्रतिशत होती है जिसमें उत्पाद कर, चुंगी, बिक्री कर, रोड़ टैक्स, एन्ट्री टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, सरचार्ज इत्यादि शामिल होते हैं (आयकर तथा सीमा शुल्क छोड़ कर) जबकि भारत में वैट कानून के साथ–साथ यह सभी कर लागू होते हैं।

सरकार की नियत

इस पूरे अध्याय के अभ्यास के बाद हम सरकार की नियत का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। उसकी मंशा भारतीय कर ढाँचे में सुधार की बजाय भारतीय उद्यमियों और व्यापारियों पर एक नया कर लाद देने की है। भारत सरकार बार–बार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा की बात करती है, लेकिन सरकार भारतीय उद्यमियों और व्यापारियों को ठीक वैसी ही सुविधा नहीं प्रदान करती जैसा कि वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देती है। उल्टे वह विश्व

बैंक, अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व व्यापार संगठन के दबाव में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रोत्साहन व भारतीय व्यापारी समाज को हतोत्साहित करने के लिये दिन–प्रतिदिन वैट जैसे नये–नये काले–कानून बनाती जा रही है। वैट विरोधी आंदोलन के दौरान भी सरकार की नियत कुछ ऐसी ही है। सरकार की पूरी कोशिश है कि आंदोलन के अगुआ व्यापारी नेताओं के व्यक्तिगत व्यवसायों को वैट के दायरे से बाहर रखकर उन्हें आंदोलन से हटा दिया जाये। इसकी कोशिश शुरू हो चुकि है। इसके अलावा सरकार उन राज्यों पर भी लगातार वैट लागू करने का दबाव बना रही है जहाँ अभी तक वैट लागू नहीं है। और दूसरी तरफ सरकार प्रचार माध्यमों के द्वारा जनता को गुमराह कर यह बताने की कोशिश कर रही है कि इस कानून से व्यापार में पारदर्शिता होगी और मंहगाई नहीं बढ़ेगी। जबकि सच्चाई यह है कि जिन राज्यों में वैट लागू हो गया है, वहाँ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आम आदमी का बजट गड़बड़ा रहा है।

इसलिये इस काले कानून के खिलाफ व्यापक जन–आंदोलन की जरूरत है जिसमें न केवल व्यापारी बल्कि पूरी जनता हिस्सेदारी करे